MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Delimitation Commission Act, 1962."

The motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL*

(*Omission of section* 124A)

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL*

(*Omission of sections* 125, 126 *and* 127).

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

15.50 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(*Amendment of articles* 74 *and* 163) by Shri Madhu Limaye

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Madhu Limaye on the 10th May,, 1968:—

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

Time allotted is 1½ hours, time taken is 21 minutes and the time remaining now is 1 hour and 9 minutes.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : इस पर कुछ समय बढ़ाना पड़ेगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will consider it. Shri Bhandare may resume his speech. He has taken 9 minutes already; however, I will give him five minutes more.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): Mr. Deputy-Speaker, Sir, there will be another opportanity for me to discuss this matter when the suggestions made by my brother advocates and lawyers will be brought before this House but so far as this Bill is concerned, in simple language it seeks to codify what is known as public morality or the convention that those who are likely

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 26-7-68.

to change sides after the general elections should resign. In other words, those who would like to throw away the manifesto with which they had gone before the public, the voters, and from whom they had sought support on the strength of that manifesto and accept the manifesto of another party should resign; that is, there ought to be some check on changing sides. The matter of changing sides should be left entirely to the Members themselves because it falls within the purview or province of what is known as convention or public morality. But Shri Madhu Limaye would like to codify that convention. There will be an occasion to deal with this question elaborately when the suggestions incorporated in the report which has been prepared in pursuance of the integration conference are considered and I shall have time to deal with it elaborately then.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur): The Bill has nothing to do with the integration conference.

SHRI R. D BHANDRE: It seeks to stop defections.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: For that there is a different committee.

SHRI R. D. BHANDRE: I am sorry. But the report to stop defections is to be discussed. To stop defections is sought to be codified and that codification will come before the House. Then I shall be able to deal with this aspect elaborately.

So far as this Bill is concerned, I would like to oppose it because of the simple fact that there can be no codification. There can be no law or legislation by which we can stop defection. Why is it that I am raising this question? I am raising this question because in the Indian society, constituted as it is, there are a number of tensions and conflicts, social and economic, and so long as those tensions and conflicts continue in the Indian society there is bound to be changing of sides both in politics and in other organisations. Merely amending the articles of the Constitution, putting a check under article 74 on the Prime Minister limiting his or her latitude and power to take any person he or she would like to take in the Ministry or under article 163 putting a limitation on the power of the leader of the Legislature to form the ministry, will not help matters. My suggestions are, therefore, twofold. First, we have got to see and all political parties have got to see and all leaders should apply their minds and direct their efforts to reviewing those conflicts and tensions in society. That is the first suggestion which I would like to make. The second suggestion that I would like to make is that we should see that we move and move fast towards polarisation of politice in this country. So long as there is no polarisation, you will appreciate that this political morality will not be of any avail or will not be a clog or a limitation or a deterrent on those who would like to cross over and bring about political polarisation.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I call the next speaker, I would like to know how many Members want to participate in this debate.

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस वक्त तीन बज कर दस मिनट हो चुके हैं । प्रश्नों के जो लिखित उत्तर होते हैं व दो बजे के बाद मिल जाते हैं । लेकिन अब तीन बज कर दस मिनट हो गए हैं, अभी तक नहीं मिले हैं । यह क्या मामला है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order.

I find that there are about nine Members who want to speak.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: We have one hour at our disposal.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister will also take some time.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam): I would also like to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members may confine themselves to about five minutes each and not more than that. The main thing is the principle of the Bill; the number is a secondary thing and that can be taken up afterwards.

Now, Shri Lobo Prabhu.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi): This Bill tends to be confused with the purpose, from what I have heard from the last speaker. We are concerned here with the simple proposition about the size of the Ministries. The first question is whether there is a necessity to regulate the size of the Ministries. One has only to look around to see what is happening. For instance, in Bihar, we had a Ministry whose size was equal to the number of Members belonging to the particular party. Again, one has to look around in Punjab to see what the position is. But more than that, I shall speak from my own experience. I was in the Government for about thirty years, and I have seen the time when four advisers or four councillors could do the work in UP, which is now done by about forty Ministers. I have seen the time when the work in the Government of India could be done by 10 councillors or 10 Ministers, which is now done by 56 Ministers.

The first thing that I am concerned with as an administrator is this. What is the effect of having 56 Ministers? It means 56 secretaries; if they belong to the ICS then they are on a salary of Rs. 4000; if they ore of the other variety they are on a salary of something like Rs. 3500. In fact, there is not only a secretary but there is a string of other officials following him. Of course, in some cases, the Minister is not given a separate secretary or separate Ministry. But if you reckon the cost of the administration following the appointment of a Minister you would be surprised how for a political purpose Government are making the common taxpayer spend so much on the staff. I shall mention what the expenditure is on each minister individually.

I think the calculation made in the last Parliament was that a Minister cost Government something like Rs. 6,600. The latest figures which are available, though they may not be up to date, show that a Minister costs Rs. 10,000 per month.

AN HON. MEMBER: Per day.

SHRI LOBO PRABHU: Per day, all right; I am willing to accept the amendment that it is Rs. 10,000 per day, because the mistake which some of them commit are very expensive; the mistakes which they make, especially if they are in such large numbers, especially for want of qualification, cost Rs. 10,000 a day. So, you have this position that a Minister costs so much, the staff costs so much, and you have also this proposition that a Minister—who is appointed to satisfy some political purpose or to gratify the claim of a particular section of the House can be unsuitable—I am using the word advisedly—for his post. We have, therefore, to restrict the number of Ministers to a size which will secure good quality and which will ensure that the expenditure is the minimum and at the same time will ensure that the work is done expeditiously and economically.

This is a long subject and I do not know how indulgent the Chair will be. But I would say this that to have separate Ministries and separate Ministers means that files have to go up and down several ladders before they are decided. Before a decision is taken on any subject, all the con-

cerned Ministers have to be consulted, and as soon as the file comes from on a Ministry to the other, it goes up and comes down to the bottom and again it goes up. You can imagine what an amount of movement takes place just because of the simple fact that the Government must have a Minister to satisfy a political purpose.

Now, I come to the effect on the public morale of having so many Ministers. The public has lost its respect for the Ministers when they are so cheap, when they are packed like sardines in a tin, when they go so frequently to each district. More than that, when a Minister has not got the status, and when a Minister is appointed particularly to satisfy a defector, then you are bringing down the office of Minister. Any Minister who is appointed for his qualifications must feel that he is being degraded when he is in company with those Ministers whose only qualification is of crossing the floor or being a defector.

So, I entirely agree with my hon. friend Shri Madhu Limaye that the size of the Ministries should be decreased. I would go a little further ever and I would introduce an amendment that instead of the size being one-twelfth, it should be one-twentieth of the number of elected Members....

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI (Bhopal): Size of the Minister?

SHRI LOBO PRABHU: The size of the Ministers varies, of course. If my hon. friend was himself a Minister, we may have to make an allowance and say that he is equal to two.

I would like to make my position clear. I shall give you the calculation now. In this House, at the rate of one-twentieth, we would have 26 Ministers. It is certainly not a small number; we can accommodate as many in this House as have the qualifications to be Ministers. I am not making any allegations, but this is about the number of Members on the other side fit to be Ministers; the others should be very good followers. In the States, the size should be 12 or 13 or 14 Ministers, or about one-twentieth. I may remind you that in the State of Madras which, in spite of its political changes, has still a reputation for being a very efficiently-governed State, they have found it not impossible to work with eight or nine Ministers. Therefore, this plethora of Ministers in other governments is like a swarm of fish which lay their eggs in large numbers in the hope that some would come out. This must stop if democracy is to mean anything. I would, therefore, urge that my amendment may be accepted and that without delay we stop this proliferation.

SHRI RANE (Buldana): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to make certain observations on the Constitution (Amendment) Bill moved by Shri Madhu Limaye. Perhaps, this is the first occasion that I am agreeing, though not entirely, with Shri Madhu Limaye substantially in certain respects.

I agree, in principle, that there should be a limit placed on the number of Ministers at the Centre as well as at the State level. Secondly, I agree with the observations he has made in the Statement of Objects and Reasons. It is quite true that the Congress Party at the Centre or even the Congress Ministry at the Centre has not laid down any healthy conventions about the formation of the ministry. If you look at the number of Ministers, in 1952, the Cabinet Ministers were 12 and the Ministers of State were 5. In 1957, the Cabinet Ministers were 14 and the Ministers of State were 8. In 1962, the number of the Cabinet Ministers went up to 17 and the number of Ministers of State were 11. Now, in 1967, the number of Cabinet Ministers has gone up to 18 and the number of Ministers of State has gone upto 17. This itself shows

[Shri Rane]

that the Centre or the Central Government or the Prime Minister has not taken that much care to see that the number should be the minimum. I would, therefore, submit that what Shri Madhu Limaye has said that the Congress Party has not laid down a healthy convention for the formation of the Ministry is correct......

MR. DEPUTY-SPEAKER: You do not want to include Deputy Ministers in the Council of Ministers?

SHRI RANE: I have not purposely included them because I wanted to place before the House the increase in the number of Cabinet Ministers and the Ministers of State from 1952 to 1967.

As regards the merits of the Bill, I do not agree with Shri Madhu Limaye's sub-clause (ii) of clause 1. It says that it shall come into force immediately. I do not want that the *status quo* should be disturbed after passing this legislation.

As regards clause 2, it says that the ratio of Ministers should be 1|2 of the elected Members of the Lok Sabha. I agree with that in principle. But I differ when it comes to clause 3. In the State Legislatures, I think, the ratio should be 1|20 as stated by Shri Lobo Prabhu.

After Shri Madhu Limaye moved his Bill that is before the House, it has appeared in the press that the legal expert committee on defections have made certain suggestions about the formation of the Ministry and about the prevention of defections. They have suggested that the ministers should be 1|10 of the total number of Members of the legislature including the Upper House. At present the number of Ministers at the Centre is about 57. Now, if we accept the suggestion made by the legal expert committee on defections, it may come to 80 at the Centre and, in different States, it may perhaps be double or more than double. Take for instance, Madras. At present, Madras has only 9 Ministers. If we take this suggestion, the number may go upto 40. So, my submission is that the suggestion made by the legal expert committee on defections is rather unreasonable or, perhaps, one can say, it is absurd.

I quite agree with the Statement of Objects and Reasons which says that the more the Ministers, the more the expenditure. I have come to know that though we have got 18 Ministers of the Cabinet rank, our Departments exceed more than 100. It means increase in expenditure. I do not want to go into details. My submission is that the Departments themselves incur heavy expenditure.

With these words, I submit that I quite agree with Shri Madhu Limaye in principle, and with whatever I have suggested I support the Bill.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Bill, whether it is accepted today or not, embodies in itself a very good principle. Although there may be disagreement on the actual numerical factor, namely, 1|12, still there should be general agreement on the question whether the Ministries' size should be under-sized, over-sized or sized properly. Now after four General Elections, after the 1952 and the subsequent elections, we have found that in the various States as well as in the Centre, the tendency has been to increase the size of the Ministries. I do not like to offend any one who is at present a Minister either here or in the States. I am talking of a proposition which is academic in nature except where Mr. Limaye says that the Act must come into effect at once; that is, to say so is an invitation to the Government to oppose it at once because if it should come into effect at once, the present Ministers cannot be expected to pass it; they are not so bad as to pass such self-denying ordinances on themselves immediately.

The position is that there is absolutely no doubt that ministeries are oversized to a disgusting extent. I should say that the Central Government can be run with 30 Ministers; I have no doubt about it. Those Ministers who are now working know that 30 of them are good enough to deal with any problem that arises before the Central Government. But now are the Ministers selected? They are rarely selected with reference to the volume of work. Those who have got any part or lot in making a Ministry or being in a Ministry know perfectly well that they have got a lot of varied pressures and it is to satisfy those pressures that a Prime Minister or a Chief Minister has got to give Ministerships. Of course, the first 10 or 15 members in a Central Ministry or the first five or six members in a State Ministry come there because they are inevitable; they are qualified or are, on account of their political strength are inevitable, but the rest come due to unhealthy pressures. The Prime Minister or Chief Minister tries to spread the net far and wide and see that as many people as possible are brought under their protective wings. Of course, we cannot blame the members if they are a little ambitious and we cannot blame also a Prime Minister or a Chief Minister if he is a little over-ambitious; he wants to be as strong as possible and, therefore, whenever there is a pressure, he would certainly try to accommodate and that is what is happening. That is the reason why before a Session begins, new items appear with reference to either State or Centre that the Prime Minister or Chief Minister is thinking of expanding the Ministry. During the Session therefore, all ambitious members are bound to be silent and when the Session is over, again speculation goes on and people would be going about expecting as to who is to become the next Minister. And there are always some obliging reporters who mention a few names and then the game goes on until again the next Session comes. Then, again there are reports that the Chief Minister is thinking of so and so to fill the gap caused by so and so on account of certain reasons or that the Prime Minister is going to do it. Our reporters are very excellent reporters. I think, they beat the best reporters in the world and they give you such nice assessments that every day when we come to Parliament or go to an Assembly, we really think that the Prime Minister or the Chief Minister is going to make an actual announcement on the floor of the House that so and so is appointed a Minister, but that nothing comes. We ask important reporters, 'What has happened?' They reply, 'Well, not now, it will be tomorrow'. Then tomorrow and tomorrow, is on the wall. Ambition is our weakness and Chief Ministers and Prime Ministers are able to play upon it. Their strength lies in this that they are somehow able to command the majority of the party and they continue the game; when they feel they are failing, they expand the Ministry automatically and succeed.

This tendency is a very bad one. That is why the principle embodied in the Bill is very good. As suggested, I believe the Central Government can run with 30 Ministers and the State Government with 10. I have absolutely no doubt about that.

SHRI S. M. JOSHI (Poona): If it is fixed at 30, still they will be able to play on that ambition.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: True. But it will be limited to that extent.

Now on the question of a statutory limit, the point is whether we can impose such a limit. If you are a Chief Minister, you will oppose it. It will be almost impossible in the present context of events to have a convention. Conventions are honoured more in the breach than in the observance. That is the reason why Shri Limaye has prescribed a limit statutorily in his Bill. If we are able to agree on a statutory limit, ambitions can be cut down to size and the pressure upon the Chief Ministers and

[Shri Tenneti Viswanatham]

the Prime Minister will also be reduced.

Then the race will be among the qualified people or the politically-strong ones within the party to come up to the level and into the first 30 in the Centre or the first 10 in the States. After a time, this will become an accepted practice in the country. It is a question of our willingness to take a decision. This decision must be taken at some time or other. The objection taken would be that such a decision has not been taken in other countries.

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON): There is a law in England on the matter.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: In England, there were 125 Ministers at one time. For us here, there cannot be more than 30. If there is a law, let it be observed. If we make a law and observe it as in the case of the law on prohibition, what is the purpose behind having such a law? It will simply be violated at will.

I heartily support the principle of the Bill. We should also be able to say, "This Government at the Centre should not consist of more than 30 Ministers and the State Governments should not have more than 10 Ministers, whatever may be the size of the State concerned. This will not come into effect immediately, but after the next elections."

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर महोदय, तपेदिक के मर्ज का इलाज है, कैंसर का भी इलाज हो गया और अब तो यह है कि मौत पर भी आदमी काबू पा चला लेकिन कुर्सी के काटे का इलाज नहीं मिलता कहीं और हिन्दुस्तान में अगर किसी को कुर्सी काट लेती है तो वह आदमी फिर पनपता नहीं और इस से न सिर्फ हमारा मुल्क बदनाम हुआ बल्कि हमारी कौम भी बेग़ैरत हुई । .... (व्यवधान) .... हरयाने को छोड़ दो । यहां तो सारा देश ही हरयाना बन गया । यू० पी० में यह हाल है, बिहार आगे बाजी ले गया, तीन हरयाने के मुकाबिले का अकेले बिहार बन गया, मध्य प्रदेश में उससे बुरी हालत हुई और बंगाल तो सब को मात दे गया, पीछे छोड़ गया । तो इस मर्ज की दवा के लिए, जो इधर से उधर मेढकों की तरह से बजोर बढ़ रहे थे, इस का इलाज सोचा गया । सब पार्टीज की तरफ से देश में ख्याल आया । डिफेक्शंस का इलाज सोचा गया और पार्लियामेंट ने इसके ऊपर ग़ौर किया । .... (व्यवधान) ..... हिन्दुस्तान का एक मजाक उड़ाया जाने लगा । एक अनपढ़ आदमी भी मजाक उड़ाने लगा और सारी दुनिया मजाक उड़ाने लगी । लोग कहने लगे अंग्रेज बड़ा होशियार था । वह ठीक कहता था कि तुम काबिल नहीं हो कि आज़ादी को कायम रख सको । तो मुझे खुशी है कि उस की एक बात मधु लिमये के इस बिल के मार्फत यहां आप के सामने आई । मैं समझता हूं कि जो कमेटी बनी उस कमेटी में लाइयर्स ने तो एक व्यू प्वाइंट लिया और उस के बाद एक दूसरी कमेटी बैठी उस ने उस सारे को रूल आउट कर दिया । अब यहां कुछ दिमाग हाउस में देखा जो दोनों से ही मुख्तलिफ है । इस बिल में भी जो एक बात कही गई, 1/12 की बात, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ 1/12 हो, मैं कहता हूं यह भी थोड़ी कही गई । जितने वज़ीर ज्यादा बनेंगे उतनी बीमारी बढ़ेगी, उतने उम्मीदवार वज़ारत के ज्यादा होंगे और यह सेंटर को भी, बिहार को भी, यू० पी० को भी सब को अप्लाई करता है । हरयाने का तो हमने इलाज बांध दिया, मैं तो कांग्रेस की शिकायत करता हूं कि हम 5 की कैबिनेट बनाने चले थे हरयाने में लेकिन वह 7 की कर दी । इस से पहले इन भाइयों की सरकार

वहां थी हरयाने में 32 नायब तहसीलदार और 32 वजीर। और नायब तहसीलदार और पटवारी व गिर्दावर की ज्यादा पोजीशन थी वजीर से। पटवारी और गिर्दावर तो पढ़े लिखे, आठवीं जमात पास कम से कम थे लेकिन वजीर अंगूठा-टेक जो बाअलम खुद भी नहीं लिख सकते तो क्या उनकी कदर हो सकती थी। जिन दिनों फजल हुसेन यहां मिनिस्टर हुआ करते थे, और जिन दिनों सर सिकन्दर और सर छोटू राम हरयाने के मिनिस्टर हुआ करते थे तो एक वह वजीर थे कि 100–100 वजीर जो आज के हैं डालडे वाले उन के बराबर वह एक-एक वजीर होते थे। आज क्या वजारत रह गई? क्या वजारत को सेक्रेटरी समझें, क्या डिप्टी सेक्रेटरी समझें? मामूली क्लर्क और असिस्टेंट भी वजीर साहब की सिफारिश को फेंक देता है जैसे दूध से मक्खी फेंक दी जाती है। उस की वजह क्या है? हमारी भी कमजोरी है। हम एम० एल० ए० बनते हैं, एम० पी० बनते हैं, सीधे वजीर बनने की सोचते हैं और उस को खुदा जैसा मानते हैं। वजीर बनने के लिए एम० पी० हो या एम० एल० ए० हो, सारे हथियार इस्तेमाल करता है। प्रेशर भी करता है, काउंटर प्रेशर भी करता है, मुकाबिले भी होते हैं और जो सारे देश में हुआ वह तो हमारे लिए शर्म की बात है। एक मिसाल दे कर मैं खत्म करना चाहता हूं। हमारे यहां एक भाई चंडीगढ़ जाना चाहते थे। बस नहीं मिली। ट्रक को रुकवा लिया, कहा भाई, मुझे चंडीगढ़ ले चलो, काम है। ट्रक वाला बोला कि क्या करोगे चंडीगढ़ जा कर? वहां अगर चले गए तो तुम्हें पकड़ कर वजीर बना देंगे। यह वजीर की पोजीशन है। दोपहर को कोई वजीर है, दोपहर बाद कोई वजीर है, शाम को कोई और है और अगले दिन सुबह वह भी डाउन है। क्या डेमोक्रेसी है? क्या पालियामेंट्री सिस्टम आफ गवर्नमेंट है? क्या वजारत का स्टैंडर्ड है और क्या अकल है? क्या हमारा इखलाक है? जैसे डंगरों का मेला होता है वैसे वजारत के लिये मेला लगता है। 25 हजार रुपया लेंगे डिप्टी वजीरी लेंगे। 10 हजार रुपया लेंगे तो स्टेट मिनिस्ट्री लेंगे और 5 हजार रुपया लेंगे तो फुल मिनिस्ट्री लेंगे। यह केवल हरियाने की बात नहीं है, सारे देश की बात है। मैं मधु लिमये की तारीफ करता हूं कि यह बिल लाये लेकिन यह बिल तो पुराना हो गया। कागजी बात तो नहीं बनेगी। अगर कांस्टीट्यूशन में भी अमेंडमेंट होगा तो उस से क्या होगा? इस सारे देश के दिमाग और ख्याल को ही बदलना पड़ेगा। कुछ हम लोगों में भी कमी है। वजीर बन गया तो खुदा बन गया और वजीर नहीं है तो वह पूरा आदमी ही नहीं है, ऐसा कुछ ख्याल है। कितने शानदार एम० पी० और एम० एल० ए० बैठे हैं जो वजीरों से कई कई गुने ज्यादा हैं लेकिन उन आदमियों की देहात में या और कहीं चलेंजायं तो पूछ नहीं है। मैं समझता हूं कि एफेक्टिव मेम्बर पालियामेंट के या एफेक्टिव एम० एल०ए० हों तो वह कई कई वजीरों के बराबर एक एक आदमी है। लेकिन हमारे दिमाग़, देहातों के, शहरों के वोटर्स के ऐसे हो गये हैं कि जब तक वजीर की छाप न हो झण्डा न हो, सैल्यूट नहीं मिले तब तक उसको कोई नहीं पूछता। इस देश के वोटर्स के दिमाग़ से इस ख्याल को निकालना पड़ेगा। वजीरों से एम०पीज, एम०एल०एज० ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वजीर तो एक सेवादार है। जो बात अमरीका में है या यह बात जो कि इंग्लैंड में है कि वजीर बसों में चलते हैं, या जैसा हमारे कुछ भाइयों ने केरल में किया कि वजीर साइकल पर चलता है, हालांकि वह चीज सिर्फ नुमाइशी थी, लेकिन यह चीज सारे देश में आनी चाहिये कि वजीर को कुर्सी खाये नहीं। यह जो दिमाग़ में एक नई चीज पैदा हो गई है कि वजारत मेरे हाथ से चली गई तो मेरी मौत है—यही सारी बीमारी की जड़ है। लोग वजारत को अहमियत न दें, एम०पीज० वजारत के

[श्री रणधीर सिंह]

पीछे न फिरें, अगर वजारत छिन जाय, तो छोड़ दें उसके लिये तपेदिक का मरीज न बनें कि वजारत नहीं रही।

मैं अपने दोस्त की सराहना करना चाहता हूं कि वह इस बिल को यहां पर लाये लेकिन मेरे ख्याल में कांस्टीट्यूशन को अमेण्ड करने के बजाय हेल्दी कन्वैन्शन्ज कायम की जातीं, तो ज्यादा इम्पोर्टेन्स की बात होती। इंग्लैंड में रिटन कांस्टीचूट्शन नहीं है सिर्फ कन्वेन्शन्ज पर काम होता है।

इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल का पुरजोर हिमायत करता हूं।

SHRI S. M. KRISHNA (Mandya): After the great upheavel in the political map of our country following the general elections in 1967, we have taken a few disastrous strides in the working of parliamentary democracy. The tempo and the speed with which ministries after ministries fell toppled in various States reduced our democracy into public ridicule. I am not singling out any political party to lay the charge at its door. The Bill that is now being discussed would have served a very useful purpose if it could kindle a little re-thinking on the part of every political party in this country and also every legislator in this country. A certain degree of introspection is the need of the hour, what is the lesson that we have learnt in the last fifteen months. Should not certain conventions and precedents be evolved as a result of the consensus that would develop by the meeting of the minds and hearts of parties representing various political shades in this country? I am pained to find that we are going in a very wrong direction. I heard two or three speakers from the ruling party and none of them have opposed this Bill. To that extent they stand to be congratulated because we have to move with the spirit of the time. The condition is acute; the disease is so deep and malignant. That is why my hon. friend has come forward with this Bill to amend the Constitution. I take this opportunity congratulate Mr. Annadorai, the non-Congress Chief Minister of Madras State. He could have a jumbo sized ministry like the one we are having in Mysore or 32 as as they in Bihar had. But he stood by the principle. He said that on principle he was not going to have more than nine Ministers. Pressures were brought upon the Chief Minister of Madras State, but being a strong leader as he is, he did not succumb to those pressures, and he did not surrender himself on the principles. What happened in my State of Mysore? Much was made about the new, dynamic, young Chief Minister. I feel that Mr. Nijalingappa was much better, because he had a Cabinet or a Council of Ministers consisting of only 22, and today, Mysore Ministry consists of 28 persons, and the Chief Minister is holding a threat, he is holding a threat before the people of Mysore, that he is going to add some more Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers. I hear a rumbling, a murmur, a whispering campaign that in the Central Ministry, many of our Deputy Ministers, Ministers of State, have gone to the Prime Minister and said—they are reported to have said—"Madam, you do not have enough work at all, and you do not give us any work at all. What do you expect us to do here?" The quorum that is needed in the Lok Sabha is 54, I am given to understand. They have three more; there are 57 Ministers here. It is three more than the quorum that is required. The Prime Minister does not bother about all of us being present, as long as she can command 57 Ministers here to come and sit and be glued to their seats which have been allotted to them! This is the position to which we have reduced parliamentary democracy in this country.

Where we do we go from here? What is going to happen to our democracy? What is going to happen to our values of democracy? Go to Bihar, go to West Bengal, go to Haryana; you walk on the streets of Chandigarh and Patna. You tumble into so many ex-Ministers; and you just cannot keep track of this ever-growing strength of Ministers and ex-Ministers. A time may come when we will be expanding our Government and when we will be expanding the strength of the Ministers, when the Ministers would become the laughing-stock of the nation, and we have to be guarded about it.

Unless there is a constitutional sanction, no Chief Minister is going to bow down to a convention, to sweet reasoning, to persuasiveness. He would like to be whipped by a constitutional mandate, and that is what is sought to be put in by the leader of the Samyukta Socialist Party. With these few words, I commend the Bill for the acceptance of this House, with the fond hope that sooner or later, wisdom would dawn on politicians, on legislators, on leaders of political parties.

SHRI ASGHAR HUSAIN (Akola): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Bill in principle inasmuch as that, when we look to the country, we find that everywhere there is a talk or comment that in every State and also at the Centre the size of the Ministry is such that it has become unwieldy and causing unnecessary waste of energy, time and money. However, the main object, as stated in the Bill, is that this would stop defections also.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You had better come forward; you are not audible.

SHRI ASGHAR HUSAIN: It is also said in the country that these defections which are taking place every now and then in the States would also be stopped if we do not give any encouragement to members by making them Ministers. It is also said that the work has increased; no doubt the population has also increased, and the number of members of the legislatures and of Parliament has also increased, and to that extent the number of Ministers must have increased. As my friend Mr. Rane said, in 1952 it was a small number, and looking to the present trend in the country, and to the work which is required to be done effectively, no doubt that size will have to be greater, but not to the extent as it is existing today. Therefore, I request the Government to consider this aspect. I also request the Government to see that the number of Ministers in the Ministry, if not now, at least in future, is regulated.

But the question arises whether there should be a constitutional check on this. That is the moot point to be discussed.

I think we need not go to that extent at this stage. If we make it a point to make it constitutional then it would be very difficult for us to run the Government as effectively as we have been doing. Because, for purposes of the functioning of parliamentary democracy sometimes occasions do arise where many considerations have to be taken into account. Therefore, I think we should not go to that extent of amending our Constitution. But, all the same, we must introduce some healthy conventions whereby we will be able to limit the number of ministers and also, at the same time, do away with the encouragement to likely defectors in legislatures.

Sir, that is all that I have to say.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री लिमये जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज के राजनीतिक अन्धकार में देश के सामने एक प्रकाश और आशा उपस्थित की है। बीस वर्ष पूर्व जब यह देश स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने दो मार्ग थे, एक प्रजातन्त्र का

[श्री श्रोम प्रकाश त्यागी]

श्रौर एक तानाशाही का। इस देश की जनता ने इस देश की भावनाश्रों का श्रादर करते हुए इस देश में प्रजातन्त्र को अपनाया श्रौर उसी दिन से तानाशाही का, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे साम्यवाद के रूप में, नाजीज्म श्रौर फासीज्म के रूप में या किसी भी रूप में उसका विरोध किया। परन्तु दुर्भाग्य का वह दिन था जबकि इस देश में प्रजातन्त्र को समाप्त करने के लिये राजनीति में भ्रष्टाचार श्रारम्भ हुश्रा। इस देश में प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार उपस्थित है, जहां जाश्रो वहां भ्रष्टाचार। परन्तु वह भ्रष्टाचार जिस दिन राजनीति में श्राकर पदार्पित हुश्रा वह दिन देश का दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। मुझे सबसे अधिक खेद तो इस बात का है कि पूज्य महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश की श्राधार शिला सत्य श्रौर श्रहिंसा पर श्राधारित की, श्राज उसी देश में उन्हीं के श्रनुयायीयों ने उनकी सत्य श्रौर श्रहिंसा की भावना पर स्वयं कुठाराघात किया। श्रौर वह यह कि प्रजातांत्रिक श्राधार पर जब सन 1967 में चुनाव के पश्चात जनता की भावना सामने उपस्थित हुई--जबकि पिछले 20 वर्षों में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू इस देश के माननीय प्रधान मंत्री रहे, उनकी श्रावाज के सामने जनमत श्रौर प्रजातन्त्र दोनों ही दबे रहे, लेकिन उनके पश्चात इस देश का जनमत सामने उभर कर श्राया, जनता की श्रावाज सामने श्राई सन 67 में उसने विपरीत रूप धारण किया तो दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी उस जनमत को सहन नहीं कर सकी। उसने जनता की उस श्रावाज को अपने दूषित मार्ग से समाप्त करने की चेष्टा की श्रौर वह मार्ग था दल बदलुश्रों का। यानि दल बदल प्रारम्भ हुई श्रौर इस दल-बदल के पीछे श्रौर कुछ नहीं था, एक ही चीज थी, या तो थैलियां थीं या मंत्री पद का लोभ था। मंत्री पद का लोभ बहुत बड़ा होता है ? तो वह लोभ सामने श्राया। लोगों ने बाजारों में गाय, भैंस श्रौर बकरियों को बिकते देखा था लेकिन बाद में लोगों ने राजनीति के बाजार में एम० एल० ए० को बिकते हुए देखा। थैलियों के बल पर मंत्री पद के लालच में जनता की चुनी हुई सरकारों को लोगों ने उलटते श्रौर पलटते देखा। उसके पश्चात इस देश में श्रस्थिरता की स्थिति बनी। इस विधेयक में केवल यही नहीं है कि मंत्री मण्डल को सीमित किया जाये परन्तु इसके पीछे भावना बहुत दूर की है। श्राज प्रजातन्त्र खतरे में श्रा गया है श्रगर इस समय हमने सावधानी नहीं बरती श्रौर यह क्रम चालू रहा तो परिणाम यह निकलेगा कि प्रजातन्त्र से जनता का विश्वास ही उठ जायेगा श्रौर देश में वह वातावरण उत्पन्न होगा जोकि इस देश में श्रराजकता उत्पन्न कर देगा, तानाशाही का राज उपस्थित कर देगा। इस देशका वातावरण उन लोगों के हाथ में चला जायगा जो इस देश में खूनी क्रांति के पक्षपाती हैं। इस लिये हमें सावधानी बरतने की श्रावश्यकता है।

सबसे पहली बात यहीं है कि दल बदल समाप्त की जाये। हरियाणा में 81 सदस्यों की विधान सभा में हर दो सदस्यों के पीछे एक मिनिस्टर बना। वहां के चीफ मिनिस्टर ने स्वयं स्वीकार किया श्रौर कहा कि हम क्या करें हमको तो अपनी सरकार कायम रखनी है, जिस रूप से भी यह हो सके, रुपये के बल पर हो या मंत्री पद के प्रलोभन पर हो। तो श्राज इस बिल के पास करने के पीछे एक ही चीज है, प्रजातन्त्र की रक्षा करना। देश को श्रराजकता की श्रोर श्रौर तानाशाही की श्रोर जाने से रोकने के लिये श्रावश्यक है कि हम इस पर ब्रेक लगायें ताकि दल बदल न हो सके। इसके लिये सबसे बड़ा जो पहला पग है वह यह कि हम उस प्रलोभन को समाप्त करें जिसके लिये यह दल बदल होता है यानी मंत्री मंडल का विस्तार। मैं समझता हूं इस को रोकना चाहिये श्रौर इसको रोकने के लिये जैसा कि सरकारी सलाहकार समिति ने मंत्रिमंडल 10 प्रतिशत कहा है लेकिन

मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी संख्या हो जायेगी उन्होंने कोई आगे सीमा नहीं रखी है कि दस प्रतिशत रहेगी लेकिन अधिक से अधिक 20 या 25 की संख्या हो सकती है। उसके पीछे कोई सीमा होनी चाहिये जिसकी को कि उसने नहीं रखा है।

अन्त में मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस में कोई पार्टी का सवाल नहीं है। देश पार्टी से ऊपर होता है। पार्टियां देश के लिये हैं, देश पार्टियों के लिय नहीं है। इसमें प्रजातन्त्र की रक्षा का प्रश्न है। इसलिय सरकार को पार्टी से ऊपर उठकर उस भावना से जिससे राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार समाप्त हो सके कदम उठाना है। इसके लिये पहला पग यह होना चाहिये कि हम मंत्रि मंडल को ही सीमित करें ताकि दल बदल की सम्भावना ही न रहे। इस बिल का समर्थन करत हुए मैं श्री मधु लिमये जी को पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मधु लिमये जी ने जो विधेयक पेश किया है उसको पढ़ने से और देखने से मैं महसूस करता हूं कि जिस के लिये उन्होंने यह विधेयक पेश किया है उसके साथ-साथ कुछ और भी होना चाहिये था। उन्होंने सिर्फ क्वान्टिटी पर पाबन्दी लगाई है लेकिन क्वालिटी का कोई जिक्र नहीं किया है।

15.09 hrs.

[SHRI VASUDEVAN NAIR *in the Chair.*]

अब सवाल यह रहता है कि आज हमारे विभिन्न प्रदेशों में जो मिनिस्टर्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है। जब हम इसको देखते हैं तो हम पाते है कि जनता कई बार उनके मुंह पर ही कह देती है कि ये तो किस्मत के अच्छे हैं, एक चपरासी की नौकरी नहीं पा सके लेकिन वजीर बन गये। इस बात का उदाहरण एक प्रान्त के एक मिनिस्टर से मिला भी है। मेरे एक साथी वहां पर थे और एक वजीर साहब स्कूल में गये। मंत्री जी स्वागत में पहनाए गए हार को डाले हुए क्लास देखने के लिये भी चले गये। वहां पर हिन्दी पढ़ाई जा रही थी। वजीर साहब कहते हैं कि अरे भाई यह तो अब मेरी भाषा का सूबा बन गया है अब तुम हिन्दी क्यों पढ़ाते हो। तो उन्होंने कहा कि साहब यह तो आपकी सरकार का आर्डर है उसके मुताबिक ही यह चल रहा है। फिर वजीर साहब कहते हैं सरकार तो मैं हूं सरकार हुकुम दे रही है कि तुम पढ़ाई बन्द करो। तो जिस मिनिस्टर को यह नहीं मालूम कि सरकार क्या है और आर्डर कहां से आता है कैसे भाषा चलती है और कैसे भाषा बन्द होती है यह दिवाला है हमारी योग्यता का और हमारी काबिलियत का। इसलिये मैं कहूंगा कि हमें क्वान्टिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखना होगा।

दूसरे जहां तक वजीरों की तादाद के बारे में 1/12 रखा है मैं समझता हूं वह ठीक है कोई अधिक नहीं है और बहुत कम भी नहीं नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ कोई ऐसा जाब्ता भी बनाना चाहिये कि जो मिनिस्टरस हों वे अखलाक के लिहाज से ऊंचे होने चाहियें कोई भी जो कि शराब पीता हो उसको वजीर नहीं बनने देना चाहिये।

ऐसा हमारा अखलाक होना चाहिए कि हम शराब पीने वाले वजीर को, दो बीवियां रखने वाले वजीर को, ऐसे वजीर को जिस के खिलाफ ऐयाशी का चार्ज हो.....

16.00 hrs.

श्री मधु लिमये : और अपने लड़के को प्राइवेट सेक्रेटरी रखने वाले वजीर को, यह भी जोड़ दिया जाये।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : ऐसे वजीर जोकि ऐय्याश हों, करप्ट हों उन्हें वजीर नहीं बनने देना चाहिये। ऐसी चीज जब हम करेंगे उस के बाद ही डेमोक्रेसी के ऊपर लोगों का जो विश्वास है वह क़ायम रह सकता है।

[श्री प्रेम चन्द वर्मा]

एक हमारे भाई ने यहां पर कहा है कि यह मिनिस्टरशिप्स भेड़ों और बकरियों की तरह बिकी है। लेकिन मेरा कहना है कि वह भेड़ों और बकरियों की तरह नहीं बल्कि बैलों की तरह बिकी है। वह तो बैलों की मंडी लगती है भेड़, बकरियों की मंडी नहीं है। वह तो बैल हैं जोकि सवा लाख आदमियों को धोखा देकर आये हैं। सवा लाख आदमियों से चुन कर एक आदमी मैम्बर बन कर असेम्बली में जाता है और 25,000 रुपये वसूल करता है। 5 साल में इस से ज्यादा और कितना हो सकता है? इस तरह के भ्रष्ट, शराबी व ऐय्याश लोगों को हमें क़तई वज़ीर नहीं बनने देना चाहिए। ऐसे क्रिमिनल्स को जोकि इस तरह से मंडी लगाते हैं उस मंडी को रोकने के लिए यह सब से महत्वपूर्ण बात है कि हम उन के ऊपर अंकुश लगायें।

इस के साथ ही साथ अभी मेरे एक भाई ने कहा है कि वह एक प्रान्त में गये। उस प्रान्त के एक वज़ीर कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि वह किस पार्टी के हैं, तो वह कहते हैं कि वज़ीरों के लिए पेंशन का इन्तजाम होना चाहिए। जो आदमी वज़ीर रहता है वह जब वज़ारत से चला जाय तो उस को पेंशन मिलनी चाहिए। इस तरह की बात इस वक्त उन लोगों के दिमाग़ में आती हैं। मैं समझता हूं कि हमें डेमोक्रेसी को अगर जिंदा रखना है तो जनता में विश्वास लाना होगा। जनता का जो नुमायन्दा वहां पर जाता है उस का अखलाक क्या है और वह चाहता क्या है यह हमें देखना होगा। अगर वह सेवा के लिए जाता है तो वह सेवा की बात करे लेकिन अगर सेवा के लिए नहीं जाता है और बस पैसों के लिए जाता है तो हमें उस के लिए वहां का दरवाज़ा बंद करना होगा।

मैं उस के साथ ही साथ एक यह बात भी अर्ज करना चाहूंगा और वह उस में आनी चाहिए। मैं श्री मधु लिमये से कहूंगा कि अगर किसी को एम० एल० ए० बनना होता है तो वह साइकिल पर सवारी करता है। साइकिल पर सवारी करके वह एम०एल०ए० बन गया। लेकिन उस के बाद जब वह वज़ीर बन जाता है तो उस की पोज़ीशन क्या होती है? मिनिस्टर बन जाने पर वह कार से नीचे पांव नहीं रखता है। उसे रहने को शानदार आलीशान बंगला मिलता है। मोटरगाड़ियां, फरनीचर, चपड़ासी और सेक्रेटरी वगैरह भी मिलते हैं। जिस विभाग के वह मंत्री बनते हैं उस सबजैक्ट के विषय में क्या वह कुछ जानते बूझते हैं? कुछ जानते जरूर हैं लेकिन सवाल तो यह आकर पड़ता है कि क्या वह उस विषय के बारे में भी ज्ञान रखते हैं जिस विभाग के कि वह मिनिस्टर बने हैं? कभी शायद ही उन्होंने कोई साइंस का पर्चा दिया होगा लेकिन मिनिस्टर बन जाते हैं वह हैल्थ के। अब आप ही समझ सकते हैं कि वह डाक्टरों को क्या पूछेगा? इस लिये इस तरह की जो बातें हैं इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों पर बग़ैर किसी पार्टी के बग़ैर किसी भेद-भाव के हम सब को इकट्ठे होकर विचार करना होगा। जरूरत इस बात की है कि हम उन तमाम बातों को रोकें जिन बातों से कि यह चीज़ें बढ़ती हैं। मैं तो यह भी चाहूंगा कि अगर कोई आदमी पार्टी बदलता है तो ऐसे दल बदलू को एक साल, दो साल तक कहीं पर भी वज़ीर नहीं बनने देना चाहिए और इस तरह की बात इस बिल में कहीं न कहीं आनी चाहिए। सज़ा मिल जायें तो बहुत अच्छा है लेकिन देखने में आता है कि क़त्ल करने वाले को भी सज़ा नहीं मिलती है। हमारे बहुत से क़ानून बने हुए हैं लेकिन वह महज़ कागज़ों तक ही सीमित हो कर रह गये हैं। वह अमल में नहीं आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यह क़ानून उन क़ानूनों की तरह नहीं होना चाहिए जैसे कि वह शराब बंदी या छोटी उम्र के बच्चों की शादी का क़ानून बना हुआ है। उस क़ानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और क़ानून बनाने वालों

की धज्जियां उड़ायी जाती हैं। यह धज्जियां यहां भी उड़ाते हैं और वहां असेम्बलीज में भी उड़ाते हैं। इसलिए मैं हाउस के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि अगर इस क़ानून को बनाना है, इस को मंजूर करना है, रेजोल्यूशन मंजूर हो जाय और मैं इस की हिमायत करता हूं कि इसे मंजूर होना चाहिए। उस के बाद क़ानून बने। लेकिन मेरा कहना है कि क़ानून बने तो कड़ा क़ानून बने और उस में ऐसा प्रावीजन रक्खा जाय कि अगर उस पर अमल नहीं होता है, कोई उस की खिलाफ़वर्जी करता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। समय दिये जाने के लिए मैं आप का धन्यवाद करता हूं।

SHRI RAJARAM (Salem): Mr. Chairman, Sir, I am really happy to support Shri Madhu Limaye's Constitution (Amendment) Bill which is before the House. We have amended the Constitution so many times in the past. For various reasons, this is a fine Constitution amendment that has been proposed by my hon. friend Shri Madhu Limaye and which is an essential one at this time for our country.

My hon. friend, Shri S. M. Krishna, has said very fine things about my State and about the administration given by the D.M.K. party in Madras State. So, I think, I am competent enough to say a few words about this Bill because my State is ruled by only 9 Ministers. Not only now. It is not a new thing in Madras State. From time immemorial, Madras State has been ruled by only a few persons. Even when the Britishers were having a diarchy form of Government, there were only 4 I.C.S. persons and 4 democratic persons and, on the whole, 8 persons ruled Andhra, Kerala and Madras, all the 3 States, and a part of Mysore State. All these States were ruled only by 8 or 9 persons in those days, under the Ministership of Dr. Subbarayan, Raja of Bobbili, Raja of Panagal and others who ruled very well without any corruption. They even spent their money. They have lost their property. In those days, there were all big zamindars, rajas and everything. Now they are paupers. But these these days, paupers have come to politics and have become rajas, multi-millionaires and everything. Politics gives them all these things. So, everyone wants to become a Minister one day or other. Take, for instance, Haryana.

SHRI RANDHIR SINGH: Now, we are 7 only.

SHRI RAJARAM: I think, in Punjab, everyone is an ex-Minister. I have read in papers that in Bihar new parties are coming up for the sake of contesting elections. Every party has been formed by an ex-Chief Minister. I do not know how many ex-Chief Ministers ruled Bihar.

So, here is a fine Constitution (Amendment) Bill. The stage has come when we must do something here. At the Centre, from Nehru's days, it is like that. Everyone will say that he will become a Minister tomorrow so that he will pull his wires continuously with so many other Members of Parliament to catch the eye of the Prime Minister or the Deputy Prime Minister of even to join one of the groups of the Congress Parliamentary Party to get a Ministership. This is a normal thing. This is a common thing. The Centre has not given a model to the country. So, as Shri Madhu Limaye has rightly pointed out, here is a fine Constitution (Amendment) Bill by which we can create a model Cabinet and we can create a quality Cabinet. My hon. friend has suggested that we must create quality Ministers. Of course, it is rather difficult to create quality Ministers. Anyhow, we can try to do something to give a model to the country and show it to other countries. We must minimise the number of Ministers. We have got an army of Ministers here, nearly 57 persons. They can even burn the whole coun-

[Shri Raja Ram]

try. They have got such powers in their hands. That must be curtailed. We are having a democracy. But we must not spend so much of money over all these things. The number of Ministers must be reduced. Then only the people will respect us. Already, respect for the politicians is going down and down. Every day people are laughing at us—every Member of Parliament or Minister wants to enjoy himself. Nowadays, however, they are not complacent. As far as Madras and Kerala are concerned, people are studying so many papers. At Delhi there are no dailies in the morning and in the evening. In Madras State there are vernacular papers which are going even to remote villages—big dailies. So every villager knows what is going on at the Centre, what is going on in Madras and in every other State. People are now educating themselves. They know what is politics in India. So, do not think that you can continue to fool the people and live on the foolishness of the people for ever.

I accept the proposal of Mr. Madhu Limaye. I think, all other parties also will accept it. We must unite together and bring a Constitutional amendment and cut down not only the strength of the Ministry at the Centre but also the strength of the Ministries in all the States, so that we can maintain a true and good democracy in this country.

श्री ओंकार लाल बोहरा (चित्तोड़गढ़) : सभापति महोदय, श्री मधु लिमये ने जो सामयिक बिल संविधान में संशोधन के लिये प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं । सचमुच चौथे श्राम चुनाव के बाद हमारे देश में जो राजनीतिक वातावरण उत्पन्न हुआ है उससे प्रजातन्त्र को एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है । मैं इस बात को तहेदिल से मानता हूं कि देश में प्रजातन्त्र का विकास होना चाहिये, लेकिन केवल मतदाताओं से मत ले कर मंत्रिमंडलों का निर्माण करना ही अपने आप में प्रजातन्त्र नहीं है । सचमुच मैं प्रजातन्त्र को विकसित करना होता है, प्रजातन्त्र का पोषण करना होता है और जातन्त्र की रक्षा करनी हो ी है ।

मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद होता है कि पिछले बीस वर्ष में हमने इस तरह की परम्परा विकसित नहीं की जिस से आने वाली पीढ़ी यह सोचे कि हम ने प्रजातन्त्र का बड़ा अच्छा और सुचारू रूप से विकास किया है । सही बात तो यह है कि पहले हम बुनियादी तौर से इस बात को स्वीकार करें कि हमने मंत्रिमंडल में या विधान सभाओं में अथवा संसद् में केवल प्रजातन्त्र का ढांचा रक्खा है । यदि हम चाहते हैं कि प्रजातन्त्र की आत्मा का विकास हो, यदि हम चाहते हैं कि प्रजातन्त्र की परम्परा का विकास हो, यदि हम चाहते हैं कि प्रजातन्त्र फले फूले तो हम इस बात को कबूल करें कि हमारे पूर्वजों ने बहुत थोड़े समय में प्रजातन्त्र का एक स्वस्थ रूप विकसित किया था, और यह हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, संसद् में और विधान सभाओं में बैठने वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि, हम प्रजातन्त्र के ढाचे का ही निर्माण न करें प्रजातन्त्र की रक्षा और पोषण भी करें ।

इस दृष्टि से इस बिल में जो बुनियादी बात है उस का मैं समर्थन करता हूं, और वह बुनियादी बात यह है कि प्रजातन्त्र का पोषण प्रजातन्त्र की रक्षा प्रजातन्त्र के नुमाइन्दों के द्वारा ही होती है । प्रजातन्त्र के अन्दर जो लोग प्रजा के द्वारा चुने जाते हैं, चाहे वह असेम्बली के मेम्बर हों, चाहे संसद् के मेम्बर हों, चाहे मंत्रिमंडल के मेम्बर हों, उन पर सब से बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वे अपने आचरण के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा और अपने विचारों अथवा कार्यों के द्वारा प्रजातन्त्र का पोषण किस तरह करते हैं । मैं आप के सामने विदेशों में प्रजातन्त्र की

रक्षा और पोषण के लिये जिन लोगों ने जो जो काम किये हैं और आदर्श उपस्थित किये हैं उन का जिक्र नहीं करना चाहता, जैसे कि कई मेम्बर उदाहरण के रूप में सुनाया करते हैं, लकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि चौथे आम चुनाव के परिणाम आने के बाद हरियाणा में, बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में और यहां तक कि राजस्थान में जिस तरह से मंत्रिमंडलों का निर्माण और विस्तार कर के हम ने प्रजातन्त्र को कायम करने की कोशिश की है, उस तरह से यह प्रजातन्त्र हमारे लिये मंहगा पड़ने वाला है। प्रजातन्त्र के लिये यह शुभ चिह्न नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रिमंडलों का विस्तार इस बात का द्योतक है कि हमारी दिलचस्पी देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में या सार्वजनिक सेवा में उतनी नहीं है जितनी मंत्री बनने में है या पद प्राप्त करने में है। यह जो पदलोलुपता है यह सचमुच हमारे राष्ट्र के लिये एक भयंकर खतरे के रूप में सामने आई है। इस लिये मैं खास तौर से उन लोगों से कहना चाहता हूं जो गांधीजी से अनुप्राणित रहे हैं या जो गांधी जी का उदाहरण दिया करते हैं कि उन को विशेष रूप से इस समस्या पर विचार करना है, क्योंकि जो स्वयं उत्तरदायित्व के लिये तैयार नहीं हैं, स्वयम् सत्ता-परस्ती और पद लोलुपता के अथवा कुर्सी के शिकार हैं वह समाज और देश का विकास क्या करेंगे? इस लिये मुझ को इस बिल का हृदय से स्वागत करना है।

यह बिल केवल किसी पार्टी के लिये नहीं है, यह एक राष्ट्रीय विषय है, यह एक राष्ट्रीय कार्य है और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। चौथे आम चुनाव के बाद सभी पार्टियां ने यह रूप सामने रक्खा है कि उन्हें सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र से अधिक चिन्ता अपने स्वार्थ-पूर्ति की है। चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो या कहीं और हो, उन्होंने इस बात की चेष्टा की कि जिस तरह से भी हो उनको मंत्रिमंडल कायम रखना चाहिये और अपने शासन को आगे बढ़ाना चाहिये। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि लोगों ने दिल खोल कर कांग्रेस का विरोध किया और जनता ने दिल खोल कर उनका साथ दिया। लेकिन सरकार में आने के बाद और मंत्रिमंडल बनाने के बाद वह देश के सामने कोई आदर्श की तस्वीर पेश करते। कांग्रेस से नाराज होकर जिन्होंने जनता का मत प्राप्त किया और लोगों ने दिल खोल कर जिन को चुनकर भेजा उन से उस ने यह आशा की थी कि वह नये मंत्रिमंडल एक आदर्श उपस्थित करेंगे लेकिन दुर्भाग्य का विषय है विरोधी पार्टियों की जो संविद सरकारें थीं उन्होंने तारीफ के योग्य कोई आदर्श उपस्थित नहीं किया। इस सम्बन्ध में एक बीमारी हो गई है। प्रजातंत्र के अन्दर और यदि हम चाहते हैं कि हम प्रजातंत्र को इस बीमारी से मुक्त करें तो यह आवश्यक है कि हम इस बात पर गम्भीरता से विचार करें। भारत सरकार और यह संसद् इस बात को अपने सामने रक्खे कि यदि हमको प्रजातंत्र को इस देश में विकसित करना है। तो वह केवल प्रजातंत्र के ढांचे और कानून से विकसित नहीं होगा। वह हमारी अन्तरात्मा और हमारे नैतिकता के विचारों से विकसित होगा। प्रजातंत्र तभी पनप सकता है जब हृदय से देश के सामने और आने वाली पीढ़ी के सामने एक परम्परा विकसित करें।

इसलिये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मद्रास, आंध्र जैसे प्रदेशों में, जैसा श्री मधु लिमये ने कहा, बहुत बड़े मंत्रिमंडल न बनाये जायें। इन प्रदेशों में मंत्रियों की संख्या 25 की निर्धारित कर दी जाये और असम, राजस्थान, उड़ीसा ऐसे राज्यों के लिये निश्चित कर दिया जाये कि अधिक से अधिक 15 मंत्री रहेंगे जिनमें उपमंत्री और मंत्री दोनों सम्मिलित हों। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितनी अधिक मंत्रिमंडल की संख्या रहेगी, जितना बड़ा उसका कलेवर रहेगा, उतना ही उसका

[श्री ओंकार लाल बोहरा]

प्रभाव जनता पर कम पड़ेगा। जितनी कम उनकी संख्या रहेगी उतनी ही उसकी कार्य करने की क्षमता और सार्वजनिक सेवा का रूप सामने आयेगा। हमें इस बात को ईमान्दारी से कबूल करना चाहिये कि आज हमारे देश में सेवा का रूप बहुत कम है। इसलिये यदि हम मंत्रिमंडल का अधिक विस्तार करेंगे और बड़ा कलेवर रक्खेंगे तो हम अच्छी क्वालिटी देश के सामने नहीं रख सकेंगे। इसलिये मंत्रिमंडलों का निर्माण करते समय, मंत्रियों का चयन करते समय राजनीतिक पार्टियां इस बात का ध्यान रक्खें कि जिन मंत्रियों को वह रक्खें उनकी सार्वजनिक सेवा का रेकार्ड भी हो। उन का केवल कुछ सीटों से सम्बन्ध न हो या यह तर्क नहीं होना चाहिये कि उसके पास-पांच या सात एम एल ए या एम पी हैं। सार्वजनिक जीवन में उनकी कुछ इमेज होनी चाहिये, उनका चरित्र और आचरण लोकापवाद से दूर रहना चाहिये। तभी हम देश को कुछ दे सकेंगे।

मैं आपका समय अधिक न लेता हुआ इतना ही कहना चाहता हूं कि मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिये। आज तो यह स्थिति हो गई है कि जो एक बार मंत्री बन गया, जब तक वह हारे नहीं या जब तक उस की मृत्यु न हो जाये तब तक उसके लिये मंत्रि पद सुरक्षित है। यह कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो भी चीफ मिनिस्टर आज होता है उस पर इस बात का दवाव पड़ता है, आग्रह होता है कि जो एक बार मंत्री बन गया वह सदा के लिये मंत्री बना रहे। जो भी 1952 में मंत्री बन गया जब तक वह हारे नहीं या जब तक उसकी मृत्यु न हो जाय तब तक वह मंत्री के रूप में रहेगा। मैं समझता हूं कि यह हमारी सामन्तवादी मनोवृत्ति है, पूंजीवादी मनोवृत्ति है जो प्रजातंत्र का गला घोटती है। इसलिये मंत्रियों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रक्खा जाना चाहिये कि एक आदमी लम्बे समय तक मंत्री न बना रहे। रोटेशन चलता रहे और नये और अच्छे आदमियों को मौका मिलता रहे। लेकिन आज होता यह है कि एक बार मंत्री बनने के बाद अगर किसी को दुबारा मंत्री पद नहीं मिलता तो वह मंत्रिमंडल को गिराने की पार्टी को गिराने कोशिश करता है। इस तरह की राजनीति का खून उसके लग गया है। आज यह एक राष्ट्रीय समस्या हो गई है। आज जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि वह किस को खुश रक्खे किस को न रक्खे। जब तक यह स्थिति रहेगी मंत्रिमंडल पर दवाव रहेगा और हमारे प्रजातंत्र का वह गला घोंट देगी जो कि अभी अपनी शिशु अवस्था में है। यदि हम चाहते हैं कि सचमुच सच्चे रूप में प्रजातंत्र का विकास हो और स्वच्छ परम्पराओं का प्रारम्भ हो तो न केवल मंत्रियों की संख्या घटनी चाहिये बल्कि उनकी सार्वजनिक सेवा का रेकार्ड भी होना चाहिये। और उनकी सेवा के दृष्टिकोण को सामने रखना चाहिये। तभी हम देश को प्रजातंत्र का एक अच्छा रूप दे सकेंगे।

श्री सरजू पाण्डेय (गाजीपुर) : सभापति महोदय, यह जो बिल सदन में आया है उसका आम तौर से सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया है और मैं भी उसका समर्थन करता हूं। मगर मैं दो तीन प्रश्न कांग्रेसी सदस्यों से आपके माध्यम से करना चाहूंगा। मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने ऊपरी मन से इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन भीतर भीतर उसमें इस बात का डर मौजूद है कि अगर यह बिल पास हो जायेगा तो इन बेचारे मिनिस्टरों का क्या होगा।

श्री श्रीं०रलाल बोहरा : यह आप गलत सोच रहे हैं।

श्री सरजू पाण्डेय : यह ऊपर ऊपर से इस तरह से कहते हैं, लेकिन भीतर से सोचते हैं कि यह बेचारे मंत्री लोग जाबलेस हो जायेंगे और इन गरीबों का क्या होगा। इस लिये इस तरह वह विरोधियों पर हमला कर रहे हैं। और यह कहते हैं कि विरोधियों ने कोई आदर्श उपस्थित नहीं किया है। मैं कहता हूं कि आपने हमेशा आदर्श को तोड़ा है। आप खुद अपने दामन में झांक कर देखें कि यह जो परम्परा है क्या इसको आपने ही नहीं डाला है....

एक माननीय सदस्य : जनता ने आप से बहुत आशा की थी लेकिन वह पूरी नहीं हुई।

श्री सरजू पाण्डेय : इससे पहले कि आप हमें गाली दें आपको देखना चाहिये कि आपकी पार्टी देश की सब से बड़ी पार्टी है और आपकी बड़ी भारी परम्परा रही है, आपका बड़ा नाम रहा है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि दल बदलकों को सब से पहले आपने ही प्रोत्साहन दिया है? किस ने अशोक मेहता साहब को प्रजा समाजवादी पार्टी से निकाल कर कुर्सी पर बिठाया, किस ने उनको मंत्री पद दिया, मंत्री पद के आसन पर बिठाया? आपने ही तो बिठाया था। हमने तो नहीं बिठाया था। सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं जिन में आपने विरोधियों को तोड़ कर कुर्सी पर बिठाया। ऐसे लोगों ने जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय आन्दोलन में जनता पर गोलियां चलाई, जिन्होंने अंग्रेजों के जूते चाटे, ऐसे लोग किस दल में हैं? क्या आपके दल में हो नहीं हैं। इसका मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें। किस पार्टी के लोगों ने अब दल बदले हैं? कांग्रेसियों की ओर से ही तो बदले गये हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखी जानी चाहिये। यह भी कहा गया कि विरोधियों ने ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जो अंगूठा टेक थे। अगर आप नाम गिनना चाहें तो मैं आपको गिना सकता हूं कि आप की पार्टी में कैसे कैसे लोग हैं। आप उनका रिकार्ड मंगा कर देख भी सकते हैं कि कितने दर्जे तक वे पढ़े हुए हैं। आपने ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जो खुद तो अंगूठा क्या टेकना, दो दो आदमी पकड़ कर टिकायें तब भी नहीं टिका सकते थे। आप अपनी बात नहीं करते हैं।

यह कहा गया है कि मंत्री को चरित्रवान होना चाहिये। कितने चरित्रवान मंत्री हैं आपकी पार्टी में इसको आप देखें। कल ही आचार्य कृपलानी ने कहा था कि चाहे कोई कितना ही चरित्रवान हो लेकिन वह ऐसा होना चाहिये कि कोई उसको शक की निगाह से न देख सके। मोटिव चाहे कोई न भी हो लेकिन मुरारजी देसाई जी जैसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने बेटे को अपना प्राइवेट सैक्रेटरी बना रखा है। अब वह चाहे कितने ही चरित्रवान हों लोग उनको शुबहे की दृष्टि से देखेंगे ही।

यह कहा गया है कि विरोधियों ने गड़बड़ी कर दी है। यह ठीक है कि हरियाणा में हो गई, बंगाल में हो गई, बिहार में हो गई। लेकिन मैं कहता हूं कि इस सब की जननी आप हैं। देश में जितनी भी गड़बड़ी होती है, जो भी इस तरह के काम होते हैं, आपकी तरफ से ही होते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि विरोधी लोग लालच देते हैं। मेरा उत्तर यह है कि हम क्या लालच दे सकते हैं। हमारे पास है ही क्या। मंत्री पदों का लालच तो आप ही दे सकते हैं। आप देखें कि कांग्रेस सरकारों ने कितने लोगों को मंत्री बनाया और सिर्फ इसलिये बनाया कि वे कांग्रेस में बने रहें। अगर आप में हिम्मत थी तो आपको इस स्थिति का मुकाबला करना चाहिये था। अभी अभी श्रीमती विजय लक्ष्मी

[श्रीसरजू पाण्डेय]

पंडित ने जो कुछ कहा है, वह अखबारों में छपा है। वह कांग्रेस की बड़ी नेता हैं और बहुत दिनों से कांग्रेस की सेवा की है। वह खुद कहती हैं कि मैं बैक बैंचर बन कर पार्लिमेंट में बैठी नहीं रह सकती थी। अब आप देखें कि कौन फ्रंट बैंचर हो सकता है ? फ्रंट में कौन बैठता है ? मंत्रियों के अलावा और कोई आदमी क्या बैठ सकता है। बाकी सभी आदमी बैक बैंचर ही तो हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपका सुधार हो जायेगा तो देश का भी सुधार हो जायेगा। दल बदलुओं के लिये आपके यहाँ स्थान है, देश द्रोहियों के लिये आपके यहाँ स्थान हैं, उनकी आपके यहाँ इज्जत है, देश के अन्दर जो भी लोग गड़बड़ी करते हैं वे आपके यहाँ ही तरक्की पाते हैं। जितने निरक्षर भट्टाचार्य कांग्रेस में हैं किसी दल में नहीं हैं। शिव नारायण जी को अगली बार अगर मंत्री नहीं बनाया तो वह भी कांग्रेस छोड़ कर इधर आ जायेंगे।

इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि यह जो समस्या है इस पर हम सब को मिल कर विचार करना चाहिये। मैं नहीं समझता हूं कि मंत्रियों की संख्या घटाने से ही दल बदल पर रोक लग सकती है। इसमें मुझे शुबहा है कि ऐसा हो सकता है। मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं कि पूरे हाउस के मेम्बरों की संख्या के एक बारहवें हिस्से तक को ही मंत्री बनाया जाये। तब भी मंत्रियों की संख्या 41 हो जायेगी उस हिसाब से जितनी इस सदन की सदस्य संख्या है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रान्त में भी 40–41 होगी क्योंकि वहाँ की सदस्य संख्या चार सौ के करीब है। इसको आप और घटाइये। मैं नहीं समझता हूं कि मंत्रियों की संख्या कम कर देने से आप दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगा सकते हैं। असल समस्या तो यह है कि मंत्री पद के लिये जो मोह लोगों में है उसको किसी तरह कम किया जाये। अगर दस आदमियों को भी आप मंत्री बनाते हैं और उनको सुविधायें देते हैं, उनको आनर मिलता है, उनके पीछे जनता के लोग या वैस्टिड इंटरेस्ट्स के लोग घूमते हैं, तो मंत्री तो लोग बनना चाहेंगे ही। तब तो लोग कहेंगे कि चलो मंत्री हो जाओ, हम भी फायदा उठा लें। देश में अगर यह परम्परा कायम रहेगी तो इस एक्ट के पास हो जाने के बाद भी इसका कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। ईमानदारी की बात यह थी कि कांग्रेस के लोग विरोधियों पर कीचड़ उछालने के बजाय ईमानदारी से सोचते कि लोग क्यों मंत्री बनने के लिये दलों को छोड़ते हैं और अपनी ईमान-फरोशी करते हैं और इसका कोई रास्ता आपको निकालना चाहिये था। ऐसा करने के बजाय आपने यह कहना शुरू कर दिया कि विरोधी दलों में सब खराबियां हैं और हमारे अन्दर कुछ भी खराबियां नहीं हैं। आप इस पर गम्भीरता से विचार करो। आपका दल एक बहुत बड़ा दल है। हमारे तो छोटे छोटे दल हैं। हम यह दावा भी नहीं करते हैं कि देश भर में हमारी कोई बहुत बड़ी फालोइंग है और देश हमें नेता मानता है। आपको देश नेता मानता है। आपने जो गलत काम किये हैं उन पर अब भी आप कायम हैं उनको आप अब भी करते आ रहे हैं।

यह सुना जाता था कि देश में आपके सिवाय कोई शक्ति नहीं है जो देश को युनाइट कर सके। लेकिन आप तो हम से भी बुरे निकले। बख्शी गुलाम मुहम्मद ने एक बार कांग्रेस की मीटिंग में कहा था कि हम तो डूबेंगे मगर यार को ले डूबेंगे। आप तो डूब ही रहे हैं लेकिन औरों को भी साथ ले कर डुबा रहे हैं।

लिमये जी का जो प्रस्ताव है यह बहुत बढ़िया प्रस्ताव है। इस पर आप विचार करें और यह जो मांग की गई है कि इसको पास किया जाये इसको आप मान लें। इससे आप मत डरिये कि मंत्री आप को छोड़ कर चले जायेंगे। जो एम० पी० या एम०एल०ए०

नहीं रहता है वह कहां जाता, वह भी तो पार्टी में रहता ही है। इसी तरह से जो मंत्री नहीं रहेगा वह भी पार्टी में ही तो रहेगा। इस वास्ते आप देश में जो अवस्था उत्पन्न हो रही है मंत्री पदों के लिये जो मोह बढ़ रहा है इस पर रोक लगायें। आप खुद अपने ऊपर पाबन्दी लगायें। आप खुद ही अगर दल बदलुओं को सराहने लग जायेंगे तो फिर दूसरों से आप क्या आशा कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि संविधान में इस परिवर्तन को लाकर आप इस परम्परा को कायम करें ताकि भविष्य में न केवल खर्चा बच सके बल्कि एक स्वस्थ परम्परा का भी श्रीगणेश हो सके।

श्री तुलशीदास जाधव (बारामती) : सभापति महोदय इस बिल की इंटेंशन को अगर देखा जाये तो वह बड़ी अच्छी है। इसमें आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 जो प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार में चीफ मिनिस्टर्ज और प्राइम मिनिस्टर को मिनिस्टरों की नियुक्ति के बारे में हैं, माननीय सदस्य महोदय ने एमेंड करना चाहा है। इस बिल के स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स एंड रीजंज को आप देखें। इसमें मिनिस्टर्ज की तादाद को बढ़ाने या कम करने पर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाने का सुझाव नहीं दिया। उनका कहना यह है :

The *Statement of Objects and Reasons says* that "of late the expansion of the Cabinet has been used by the ruling Congress Party to perpetuate itself in office and the Opposition Parties too now in power in several States have been unable to resist the temptation of imitating this bad example"?

16.26 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

सत्ता हमेशा के लिये उनके हाथ में रहे इसलिये मिनिस्टर ज्यादा न बढ़ायें यह बिल का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हो इसके पीछे जो उनकी विचारधारा है वह यह है कि पिछले एक वर्ष के अन्दर जो डिफैक्शंज हुई हैं और लोग इधर उधर गये हैं उससे अनैतिकता की बू आती है या जिसको लायलटी कहते हैं उसकी हवा बिगड़ गई है लायलटी की भावना लोगों में कम हो गई है। उनका कहना यह है कि पोलिटिकल पार्टी अगर ठीक रीति से चलती हैं तो पब्लिक भी उस ठीक रास्ते पर जायेगी। मैं समझता हूं कि यही उनका इंटेंशन है। अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं समझता हूं कि इस बिल में उस इंटेंशन की पूर्ति हो जायेगी। यह तो खाली मिनिस्टर्ज के लिये है। पिछले छः महीने में या एक साल में जितने लोगों ने डिफैक्ट किया है उन सब को तो मिनिस्टर बनाया नहीं गया है। उनके साथ और भी पंद्रह, बीस या तीस आदमी इधर उधर गये हैं। मधु लिमये जी का जो इंटेंशन है उससे मैं सवा सोलह आने सहमत हूं कि इस देश में इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिये। उन्होंने आब्जैक्टस एंड रीजंज में यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी का इसको देखना काम था। मैं उनसे इस में भी सहमत हूं। पिछले बीस साल से कांग्रेस की हकूमतें बनती रही हैं और न केवल लोगों को मंत्री बनाया गया है लेकिन थानु पिल्ले जैसे लोगों को गवर्नर भी बनाया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपको यहां ये सब बातें लिखनी होंगी ताकि जो आदमी इधर से उधर आता है तो न केवल उसको मंत्री न बनाया जाये बल्कि उसको किसी कमेटी का चेयरमेन या गवर्नर भी न बनाया जाये या किसी और पद पर उसको आसीन न किया जाये। यह जो रास्ता पद देने का है फिर चाहे कांग्रेस की ओर से निकाला गया हो या किसी दूसरी पार्टी की ओर से, इसको बन्द किया जाना चाहिये। मैं इससे सहमत हूं। जब हम रेलों में इधर उधर प्रवास करते हैं तो लोगों का जो देखने का रुख हमारी तरफ रहता था आज वह भी बदल गया है। लोगों के रुख को भी हमें ध्यान में रखना होगा।

[श्री तुलसीदास जाधव]

इसके अन्दर इन्होंने यह भी कहा है कि इसके बारे में कनवेंशन होना चाहिये । में उससे भी सहमत हूं । मेरे पास ये तीन पुस्तकें हैं, "कैबिनेट रिफ़ार्म इन ब्रिटेन, 1914–63", "स्टुडेंट स्टडीज़ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट" और "कैबिनेट गवर्नमेंट"। उपाध्यक्ष महोदय, आप बड़े हुशियार हैं । आप हमेशा इस प्रकार की पुस्तकों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं । मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इन पुस्तकों में से क्वोट करूं । लेकिन मैंने देखा कि चर्चिल और उसके बाद के प्राइम मिनिस्टर्ज़ को भी अपनी कैबिनेट के सदस्यों की संख्या को कम या ज्यादा करना पड़ा । वार के समय केवल नौ मिनिस्टर कैबिनट में लिये गये, जब कि उसके चौदह साल बाद कभी कभी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज़ और सेक्रेटरीज़ आफ स्टेट को मिला कर कैबिनेट के सदस्यों की संख्या 100 तक हो जाती थी । मेरा कहना यह है कि काम में वृद्धि होने पर मिनिस्टरों आदि की संख्या में वृद्धि करनी ही पड़ती है । और किसी डवलपिंग कंट्री में मिनिस्टरों की संख्या फिक्स करने से काम चलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है ।

जहां तक हमारे मिनिस्टरों का सम्बन्ध है, मुझे ऐसा लगता है कि वे काम करने के बजाये बहुत घूमते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि सरकारी अधिकारियों के लिये आफ़िस में काम करना मुश्किल हो जाता है । शायद वे काम के लिये ही जाते हों । मेरा उद्देश्य किसी की टीका करना नहीं है । जिस देश में डेवेलेपमेंट का कार्य होता है, उसमें इस रीति से मंत्रियों की संख्या फिक्स करने से काम चलेगा या नहीं, इस पर हम को विचार करना चाहिये ।

माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिये हैं, उन्हें मैं स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन उनकी इन्टन्शन से मैं सहमत हूं । अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़ कर पार्टी इन पावर में आता है, तो उसको किसी भी हालत में कोई पद नहीं देना चाहिए, इस बात की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये । लेकिन अगर मंत्रियों की संख्या निर्धारित कर दी जाये, तो उस व्यवस्था का उल्लंघन कई तरीकों से हो सकता है । पार्टी इन पावर किसी सदस्य को पंद्रह बीस सदस्यों के साथ डिफेक्ट करने का प्रलोभन दे और अपने वर्तमान मंत्रियों में से एक दो से इस्तीफ़ा दिलवा कर डिफेक्ट करने वाले सदस्य को मंत्री बना दे और इस प्रकार मंत्रियों की निर्धारित संख्या को न बढ़ने दे । बुराई करने के लिये कई रीतियां हो सकती हैं । हिन्दुस्तान में लाइफ के सब क्षेत्रों में इतनी करप्शन और बुराई फैली हुई है कि हर एक आदमी कहता है कि इस देश में कोई अच्छी चीज नहीं है ।

आज कांग्रेस पार्टी पावर में है । हो सकता है कि कल श्री मधु लिमये किसी प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर बन जायें । वह विद्वान हैं, हुशियार हैं । डमोक्रसी में कोई बन्धन नहीं है । जो लोगों का काम करेगा, जो प्रामाणिक और आनेस्ट होगा, वह लोगों का आदर और विश्वास प्राप्त कर सकेगा । इस बिल का उद्देश्य यह है कि कोई भी दल कोई प्रलोभन दे कर किसी को डिफेक्शन करने के लिये प्रेरित न करे । इस उद्देश्य को मैं सपोर्ट करता हूं । अगर गवर्नमेंट मंत्रियों की संख्या फिक्स करे, तो मुझे कोई नाराजगी नहीं होगी ।

इस बिल के उद्देश्यों के स्टेटमेंट में कहा गया है कि दूसरी पार्टियों ने कांग्रेस पार्टी का रास्ता अख़्त्यार किया है । मेरा कहना है कि दूसरे दलों में भी बहुत से अच्छे और पुराने लोग एम० एल० ए० और एम० पी० हैं, पावर में आये हैं । मैं उनको कहना चाहता हूं कि ठीक रास्ता बताना केवल कांग्रेस का ही काम नहीं है, बल्कि उनमें भी रास्ता बताने के लिये बहुत से अच्छे और योग्य आदमी हैं । उन सब को भी इस बारे में रास्ता बताना चाहिये ।

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव): डिपुटी स्पीकर साहब, मैं श्री मधु लिमये को बधाई देता हूं कि उनके बिल की जो नीयत है, उसके पीछे जो विचार है, उसको कांग्रेस और आपोजीशन दोनों के मेम्बरान ने एप्रिशिएट किया है। सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है, यह मैं नहीं जानता हूं। लेकिन सरकारी पार्टी के काफी अच्छे मेम्बरों ने श्री मधु लिमये की ताईद की है। लेकिन मैं श्री मधु लिमये से कहना चाहता हूं कि मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों ज्यों दवा की। अगर सिर्फ यही मुसीबत हो कि मिनिस्टरों की तादाद मुनासिब रखी जाये, तो मैं मान सकता हूं।

बचपन में हम सुना करते थे कि हाथी जीता लाख का और मरा सवा लाख का, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आता था कि कैसे। 1967 के इलैक्शन में हमारे जो मिनिस्टर पार्लियामेंट का इलैक्शन हार गये, उनको किसी न किसी बड़ी आर्गनाइजेशन, कम्पनी या कारपोरेशन का चेयरमैन बना दिया गया। किसी को पेट्रोलियम की आर्गनाइजेशन का और किसी को सीड्ज की कारपोरेशन का चेयरमैन बना दिया गया। मैं मानता हूं कि कांग्रेस वाले चाहते हैं कि मौजूदा हालत में सुधार किया जाये और मैं इसको पसन्द करता हूं। लेकिन यह मर्ज यहीं थोड़ा खत्म हो गया है?

जो आदमी मिनिस्टर नहीं बन सका, वह किसी और तरह का रूप धारण कर के, अपनी कम्यूनिटी को अपनी बैंक पर ला कर इन्दिरा जी को डराये, कांग्रेस के नेताओं और बड़े बड़े मुसलमान नेताओं के साथ उनके पास जाये और डर के मारे उसको किसी कारपोरेशन वगैरह का चेयरमैन बना दिया जाये, यह कोई अच्छी भावना नहीं है और इससे देश तरक्की नहीं कर सकेगा। ऐसे लोगों की तन्ख्वाह और एलाउंसज बढ़ जाते हैं। यहां तो वे हाउस को जवाबदेह होते हैं।

श्री मोरारजी देसाई के लिए भी इस हाउस में बख्शिश नहीं है। आखिर में उन्होंने लीगल पहलू की तनाह ली कि उनका बेटा पेन्शन लेता है, तन्ख्वाह लेता है, सीधे रास्ते से लेता है या उल्टे हाथ से लेता है। वह भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला यकीनन मोरारजी देसाई के खिलाफ़ जायेगा।

अगर श्री मधु लिमये की स्पिरिट कांग्रेस वालों और आपोजीशन में प्रवेश अपना करे, तो मैं समझता हूं कि उसका फ़ायदा होगा। मैंने और देशों को भी देखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही सरकार देखी है, जो चालीस फ़ीसदी से कम वोट ले और फिर भी राज करे। उसका बहाना यह है कि जनता ने हमें वोट तो ज्यादा नहीं दिये, किन सीट तो हमने ज्यादा ले ली है, क्योंकि दूसरे लोग आपस में लड़ते हैं। इन्दिरा जी को चाहिये कि वह खुद रिजाइन कर के एक अच्छी मिसाल कायम करें और देश का वर्डिक्ट लें कि वह उनके हक में है या नहीं।

मझे उम्मीद है कि ला मिनिस्टर साहब इस बिल पर काफी विचार करेंगे। वह भद्र पुरुष हैं और नेक हैं। मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैं मधु लिमये को कहना चाहता हूं कि यह ऐसा मर्ज नहीं है, जिसका इलाज आसानी से हो सके।

شری عبدالغنی ڈار (گوڑگاؤں) : ڈپٹی سپیکر صاحب - میں شری مدھو لمیے کو بدھائی دیتا ہوں کہ ان کے بل کی جو نیت ہے - اس کے پیچھے جو وچار ہے - اس کو کانگریس اور اپوزیشن دونوں کے ممبران نے ایپریشیئٹ کیا ہے - سرکار اس بارے میں کیا کرنے جا رہی ہے - یہ میں نہیں جانتا ہوں - لیکن سرکاری پارٹی

[شری عبدالغنی ڈار]

کے کافی اچھے ممبروں نے شری مدھو لمیے کی تائید کی ہے - لیکن میں شری مدھو لمیے سے کہنا چاہتا ہوں کہ مرض بڑھتا ہی گیا - جوں جوں دوا کی - اگر صرف یہی مصیبت ہو کہ منسٹروں کی تعداد مناسب رکھی جائے - تو میں مان سکتا ہوں -

بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ ہاتھی جیتا لاکھ کا اور مرا سوا لاکھ کا - لیکن ہمارے دماغ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے - ۱۹۶۷ع کے الیکشن میں ہمارے جو منسٹر پارلیمنٹ کا الیکشن ہار گئے - ان کو کسی نہ کسی بڑی آرگنائزیشن - کمپنی یا کارپوریشن کا چیرمین بنا دیا گیا - کسی کو پیٹرولیم کی آرگنائزیشن کا اور کسی کو سینٹرز کی کارپوریشن کا چیرمین بنا دیا گیا - میں مانتا ہوں کہ کانگریس والے چاہتے ہیں کہ موجودہ حالت میں سدھار کیا جائے اور میں اس کو پسند کرتا ہوں - لیکن یہ مرض یہیں تھوڑا ختم ہو گیا ہے -

جو آدمی منسٹر نہیں بن سکا - وہ کسی اور طرح کا روپ دھارن کرکے - اپنی کمیونیٹی کو اپنی بیک پر لا کر اندرا جی کو ڈرائے - کانگریس کے نیتاؤں اور بڑے بڑے مسلمان نیتاؤں کے ساتھ ان کے پاس جائے اور ڈر کے مارے اس کسی کارپوریشن وغیرہ کا چیرمین بنا دیا جائے - یہ کوئی اچھی بھاونا نہیں ہے اور اس سے دیش ترقی نہیں کر سکیگا - ایسے لوگوں کی تنخواہ اور الاؤنسز بڑھ جاتے ہیں - یہاں تو وہ ہاؤس کو جوابدہ ہوتے ہیں -

شری مرار جی دیسائی کے لئے بھی اس ہاؤس میں بخشش نہیں ہے - آخر میں انہوں نے لیگل پہلو کی پناہ لی کہ ان کا بیٹا پینشن لیتا ہے - تنخواہ لیتا ہے - سیدھے راستے سے لیتا ہے یا الٹے ہاتھ سے لیتا ہے - وہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جاؤ - میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یقیناً شری مرار جی دیسائی کے خلاف جائیگا -

اگر شری مدھو لمیے کی سپورٹ کانگریس والوں اور اپوزیشن میں پریوپل اپارہ کرے - تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہوگا - میں نے اور دیشوں کو بھی دیکھا ہے - لیکن میں نے یہاں پر ایک ہی سرکار دیکھی ہے - جو چالیس فیصدی سے کم ووٹ لے اور پھر بھی راج کرے - اس کا بہانہ یہ ہے کہ جنتا نے ہمیں ووٹ تو زیادہ نہیں دئے - لیکن سیٹیں تو ہم نے زیادہ لے لی ہیں - کیونکہ دوسرے لوگ آپس میں لڑتے ہیں - اندرا جی کو چاہئیے کہ وہ خود ریزائن کرکے ایک اچھی مثال قائم کریں اور دیش کا ووٹ لیں کہ وہ ان کے حق میں ہے یا نہیں -

مجھے امید ہے کہ لا منسٹر صاحب
اس بل پر کافی وچار کرینگے - وہ
بہدر پرش ہیں اور نیک ہیں -
میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں -
لیکن میں شری مدھولمیے کو کہنا
چاہتا ہوں کہ یہ ایسا مرض نہیں
جس کا علاج آسانی سے ہو سکے -]

SHRI A. SREEDHARAN (Badagara): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I wholeheartedly support this Bill even though it might cause unemployment to some if it is adopted. This Bill has come at a very critical period in the history of our country, when our faith in parliamentary democracy is being eroded and a section of our people are thinking seriously whether the system of democracy which we have in our country should be remoulded and whether we should have a parliamentary form of government or we should go in for some type of presidential form of government. This state of thinking has come about because of the lamentable performance of our Ministry. We have so numerous a number of ministers that you cannot go to a guest house. You ask for a room and they say, the minister is here, his nephew is here, his uncle is here, his private secretaries are here. They have become such a big host that the administration also is suffering. It is always better to have a competent ministry for the efficient running of administration.

I would like to give one or two examples. If only we could bring the Ministries of Railways, Transport and Shipping under one man, that Ministry could be more efficiently run. If only we could bring the Ministry of Agriculture and Irrigation and Power under one man, that Ministry could be more effectively run. Today we have too many Ministers and there is clash between Ministries and files take such a long time to mature. Files go on jumping from one Ministry to another. One Ministry objects to it while another Ministry tries to get it through with the result that even developmental activities are put in cold storage.

History has proved that compact Ministries have done more efficiently than unwieldy ones. We have various types of Ministers—corrupt ones and honest ones, efficient ones and dunce ones, active ones and passive ones. While making selection political considerations always weigh and cliques and groups exert their influece. By cutting down the number of Mnisters alone, I do not think we can change the face of democracy but it blazes its trail. It is for that pioneering effort that I congratulate the mover of this Bill, Shri Madhu Limaye.

Along with this I would like to make a suggestion, and that is this. At least 51 per cent of our Ministers should be women and people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and backward communities.

SHRI RANGA (Srikakulam): Why restrict it to 51 per cent? Why not the whole lot?

SHRI A. SREEDHARAN: If that could be done, the services of talented people like Shri Sheo Narain could be placed at the disposal of the government. A number of other measures are necessary to make our parliamentary system effective. Shri Madhu Limaye has invited the attention of the House and of the country to one among many such measures. I appeal to the Law Minister to accept this Bill. If he does that, Shri Panampalli Govinda Menon will do down in the history as one of those men who saw light and wisdom at the proper stage and my State and the country would be proud of him.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): I rise to support the timely Bill that has been introduced by my hon. friend, Shri Madhu Limaye. I accept the principle on which this Bill is based, but the formula which he wants to recommend by certain calculations, that I want to contest. I would say that it should be reconsidered.

[Shri Sezhiyan]

As explained by the speaker who preceded me, it is high time that we do something to restore the confidence of the people in democratic procedures. The ministerial job should not be used to attract defectors. A friend who was speaking from the Congress benches, Shri Yadhav, said that they have not provided ministerial jobs to all the defectors. That is the only thing that he could find fault with! They have given ministership to almost all of them but not to all.

Some time ago in Madras there was a very satirical play, a modern play by Cho. Muhammad bin Tuglak ressurects, comes to the modern days and contests the election on a party ticket. His party secures about 240 seats and since he is elected the leader of the party, he becomes the Prime Minister. Then there is a clamour not only for Ministership but for Deputy Prime Ministership. Tuglak solves the problem by saying "I am the Prime Minister; I will make all the 239 of you Deputy Prime Ministers". In that way, the modern Tuglaks solve the problem.

The same thing is being done in most of the States. In Punjab, for instance, all the members of the ruling party excepting one have been given ministership. The position of the office of Minister has been reduced to that extent. Therefore, this Bill is a timely one. My only objection to the Bill is to the formula. Shri Madhu Limaye fixes the numerical strength of the Cabinet as one-twelfth of the strength of the lower House or Assembly. But the numerical strength of the Assembly varies from State to State. It is not based on any rational or logical principle. It is not related to the population. Of course, in the case of Lok Sabha the Delimitation Commission goes into the question of population and fixes the constituency. But if you take the Assembly, for instance, in Madras State up to the year 1967, the parliamentary constituency had only five Assembly seats. Now it has six. But if we go to Mysore or Andhra, for each Parliamentary constituency there are seven Assembly seats. Therefore the numerical strength of the Assembly itself varies and we should not base our calculation on a varying numerical data. We should have some correlation which is fixed and uniform throughout the country. Therefore when the Minister takes this into consideration I would also like him to take into consideration that the formula to be followed should be uniform throughout the country. If we follow this formula, then perhaps for Pondicherry we will have half a Minister or a quarter of a Minister. But we can fix the lowest number, say three or five, and the maximum. But we should calculate on some basis which is uniform and rational.

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am today in the happy position of being able to accept the principle underlying the Bill which has been supported by almost all the speakers who participated in the discussion. These speakers came from various parts of the country and belonged to various political parties represented here.

Government also have been thinking about this problem for the last few months. You are aware, Sir, that the Government has appointed a committee, known as the Committee on Defections, in which representatives of all the political parties are there. There are certain leading jurists and lawyers also in that committee.

The occasion for the constitution of that committee was the very depressing spectacle of defections which we witnessed in various Legislatures after the fourth general elections. I shall not mar the consensus which was evident in the speeches today by referring to the question as to who has been responsible for defection and all that. I do not think this is the occasion when we should indulge in that kind of controversy.

It is a fact that there have been defections and to an extent which is deplorable. The object of the constitution of the committee was to recommend to Government the steps which may be taken in order to avoid this kind of political demoralisation in the country. After a few sittings of that committee, wherein a paper was placed by the Government in which one of the recommendations was limitation statutorily of the size of Cabinets, the Home Minister requested me to convene a conference of the lawyer-members of the committee so that we could consider what exactly could be done legally, *i.e.*, by enactment, in order to avoid this trouble. The lawyer-members, three or four of them, eminent people like Shri Setalvad, our Attorney-General, Shri Daphtary, Shri Kumaramangalam, ex-Advocate General of Madras and myself, met and made a report to the Committee on Defections. One of the recommendations which we made was that it would be advisable to limit by an amendment of the Constitution the strength of Cabinets both at the Centre and in the States.

Bloated Cabinets are occasioned on account of the phenomenon of defections, sometimes to avoid defections and sometimes because defections took place. Where a ministry is toppled as a result of defections, those who have defected have been expecting something in return and if that something was not available, they would have re-defected, if that word could be used. Therefore, we see that in many places Cabinets out of size have come into existence. I do not want to indicate where it has happened like that. Apart from defections, it would, certainly, not be liked by the people to see that there are very large Cabinets. The people would not like it and democracy would come to be ridiculed if we have too large or too big Cabinets either in the States or in the Centre. So, it was recommended that there should be an amendment of the Constitution. It would, perhaps, be much better, as was suggested by my veteran friend, Prof. Ranga, in the Committee, that most of the things sought to be done by legislation could be effected by a moral code which could be evolved by various political parties sitting together. That is true. Whatever be the law which we enact and whatever be the amendments which we effected in the Constitution, it would be much better if we could have a common moral code which would be adhered to by different political parties. But I say this also that we need not be ashamed to limit statutorily the size of the Cobinets in our country because, I find this has been done in other countries also.

In a politically mature country like the United Kingdom, I find that there is a statute enacted in 1957 which replaces earlier statutes under which the size of the Cabinet is statutorily limited. I have before me that legislation of 1957. Now, the wording of that statute is very complicated and, therefore, I would read out a summary of the provisions in that statute from one of the Commentaries of the Constitution of India which I have before me. This is what has been done in the United Kingdom. It says:

> "The holders of political offices in excess of the numbers specified in Section 2(1) of the Act are disqualified. This means that Ministers, as a class, are not exempted from the disqualification. Not more than 27 of the Ministers named in Part I of the Second Schedule . . ."

—they are the senior Ministers; they shall not be more than 27—

> " . . . and not more than 70 of the Ministers specified in both Part I and Part II of the Second Schedule shall be entitled to sit and vote in the House at any one time."

27 senior Ministers and 43 junior Ministers, together 70, not more than that. The technique adopted is this:

[Shri Gobinda Menon]

"The maximum number of Ministers who are not disqualified will be maintained by the order of their appointment as Ministers so that any Minister who is appointed after the quota is filled up will be disqualified from sitting or voting unless the number of sitting Members is reduced by death or resignation."

That is the technique adopted in England so that if there are 72 Members, the 2 who are last appointed will have to wait in queue to see that one or other of the other 70 either resigns or dies before he could sit and vote in the House. Now, that system of limiting the number of Ministers may not be suitable to our country because we have a written Constitution. As rightly pointed out in the Bill which is now before us, unless the articles relating to the formation of Ministries, namely, 75 and 163, are amended appropriately, the legislation in this respect would be unconstitutional. That is why a Constitutional amendment is necessary. I find this in certain other Constitutions also; the Irish Constitution provides for the number of Ministers to be not less than seven and not more than ten; the Japanese Constitution Empowers the Legislature to fix the number of Ministers; and the Government of India Act, 1935, limited the size of the Ministry at the federal Centre to 15. That is why we found that immediately before Independence whenever the British Government sought to form a national Cabinet at the Centre, they fixed the number at 15. So, this process of limiting by law the size of Ministries is not a novel one. I would, therefore, be happy to accept the principle underlying the Bill produced by Mr. Madhu Limaye here because even before the Bill was introduced, Government was also working along these lines. Now this is not the occasion to discuss whether it should be 1|12th or 1|15th or 1|11th and all that. I request Mr. Limaye to withdraw the Bill in the interest of the principle which all of us would like to see established because even if I accept the Bill now as it is, being an amendment of the Constitution, it would not become law because the necessary quorum itself is not here. Mr. Limaye himself is a member of the Committee on Defections and I see many other faces also here of the members of that Committee. The last sitting of the Committee is to take place early in August and it would be possible for us, by a consensus, to finalise the provisions which would be necessary in this behalf. After that, I am sure I would be able to bring a Bill before this House on behalf of Government.

SHRI RABI RAY (Puri): In the next Session?

SHRI GOVINDA MENON: As soon as it is over.

श्री रबि राय : बहुत जल्दी लाइयें ।

श्री गोविन्द मेनन : बहुत जल्दी लाऊंगा ।

So, I would request my hon. friend, Mr. Limaye, to withdraw the Bill. I appreciate the uniformity of opinion, the consensus, in this regard which was visible with respect to this discussion.

श्री मधु लिमये : (मुंगेर) उपाध्यक्ष महोदय, कानून मंत्री ने कहा कि ऐसे मौके कम आते हैं जब सत्ताधारी दल के लोग और हम लोग दोनों के बीच में एक राय हो जाती है । लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दो विधेयकों को लेकर इस तरह की राय इस सदन में व्यक्त हुई है । एक कम्पनी कानून बिल . . .

SHRI R. D. BHANDARE: It is wrong.

श्री मधु लिमये : गलत नहीं कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं । आप ही ने अकेले विरोध किया है, बाकी सब ने समर्थन किया है ।

श्री रा० डी० भण्डारे : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं––यह जो नम्बर लिमिट करने की बात है, डिफैक्शन के खिलाफ है या दूसरा कोई कारण है ? I know the reasons why the number is reduced under the Minister's Salaries Act of 1947.

---

17 hrs.

श्री मधु लिमये : मैं इस का उत्तर दूंगा । मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष जब मैंने कम्पनी कानून में संशोधन लाने के लिये विधेयक पेश किया, जिसके अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा जो राजनीतिक दलों को चन्दा दिया जाता है, उस को खत्म करने का सुझाव मैंने रखा था और मैनेजिंग एजेन्सी प्रथा को मिटाने का सुझाव भी रखा था । जब माननीय मंत्री ने सिद्धान्त रूप में उस को मान लिया, तो मैंने उन के अनुरोध पर अपने विधेयक को वापस ले लिया था । आज कानून मंत्री ने मेरे विधेयक के पीछे जो सिद्धान्त हैं, जो भावना है, चूंकि उस को कुबूल किया है, इसलिये मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि सदन की इजाजत से मैं अपने विधेयक को वापस लेने वाला हूं । इस चर्चा को लेकर दो चार बातें उठी हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । यह बात सही है कि श्री वेंकटसुब्बया ने जो प्रस्ताव रखा था उसके अनुसार एक कमेटी नियुक्त की गई इस उद्देश्य से कि देश में जो दल परिवर्तन का सिलसिला चल रहा है उस पर रोक लगाने के हेतु कुछ सुझाव वह समिति दे और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी परिवर्तन का सुझाव भी वह समिति दे । इस समिति की जो पहली बैठक हुई उस बैठक में मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि मंत्रि-परिषद् की संख्या पर हमें रोक लगानी चाहिए । अब भंडारे साहब ने पूछा कि यह रोक लगाने वाली जो बात है क्या वह केवल दल परिवर्तन की पृष्ठ भूमि में थी या उस के पीछे कोई और कारण थे । तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस कमेटी के सामने भी सबसे पहले मैंने सुझाव दिया था और यह विधेयक भी पेश किया था । जैसा कि मैंने अपने ब्यान में, जो कि इस बिल के साथ जुड़ा हुआ है, कहा है कि उसके पीछे दो कारण हैं बड़े । दल परिवर्तन पर रोक लगाना, यह प्रमुख कारण नहीं है । प्रमुख कारण यह है कि राजनीति में जो पदलोलुपता और अवसरवादिता बढ़ रही है जिससे लोकतंत्र के लिए एक खतरा उत्पन्न हो रहा है, उस पर रोक लगाना। यह भी एक कारण है । जब कोई बड़ा रोग उत्पन्न होता है तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहते हैं कि एक ही उसका कारण है, उसके कई कारण हो सकते हैं । लेकिन एक-एक करके ही उन कारणों को अगर हम दूर करेंगे तो हो सकता है कि कुछ प्रयास के पश्चात् रोग काबू में आ जाए । इसलिए पदलोलुपता और अवसरवादिता का जो रोग है और दल परिवर्तन की जो बीमारी है, दोनों पर रोक लगाने के लिए कई सुझावों पर हमने विचार किया । उनमें से एक सिद्धान्त यह था । मेरा दावा यह नहीं है कि इस सिद्धान्त को कबूल करने के पश्चात् राजनीति का बिल्कुल शुद्धिकरण हो जायेगा बल्कि उसके लिए बहुत सी बातें करनी पड़ेंगी ।

रंगा साहब ने कहा कि सभी काम कानून और नियमों के जरिए से नहीं होते हैं, यह मैंने स्वयं भी कहा है । लेकिन बीस साल के अनुभव के बाद मैं अब यह बहस छेड़ना नहीं चाहता कि दोषी कौन है । लेकिन कानून मंत्री कम से कम इतना मानेंगे कि आजादी के पश्चात् जब कुछ पुराने लोगों ने कांग्रेस से हटकर सोशलिस्ट पार्टी बनाई तो पहली बार आचार्य नरेन्द्र देव के नेतृत्व में एक नया आदर्श देश के सामने रखने की हमने कोशिश की । चूंकि कांग्रेस राष्ट्रीय मोर्चे के रूप में थी तो कई लोगों ने कहा कि

[श्री मधु लिमये]

आप कांग्रेस से अलग हो गए लेकिन इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है । लेकिन चूंकि हमने कांग्रेस का टिकट पाया था और हमने वचन दिया था कि कांग्रेस के प्रति वफादार रहेंगे, इसलिए हमने सोचा कि अपना अलग दल बनाने के पश्चात् हमें विधान सभा में नहीं रहना चाहिए । इसलिए स्वयं आचार्य नरेन्द्र देव जी ने और उनके साथियों ने इस्तीफा दिया । उसके पश्चात् कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि सभी दलों को वह बुलाती और इस तरह की स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण करने की कोशिश करती लेकिन वह नहीं हुआ । इसके बावजूद मैंने अपने बयान में अकेले कांग्रेस पार्टी को दोषी नहीं ठहराया । कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी पुरानी परम्परायें हैं इसलिए वह गुनहगार नम्बर एक है । इतना ही नहीं मैंने कहा । हम लोगों को भी मौका था, जब हमारे हाथ में सत्ता आई तो उसके बाद हम लोगों का भी कर्त्तव्य था कि हम कुछ नये आदर्श देश के सामने रखते । लेकिन स्वयं मैं ने कहा है, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं, गैरकांग्रेसी सरकारों ने जो गलत काम किए हैं उसकी नुक्ता-चीनी मेरे जैसे लोगों ने हमेशा की है, इस संसद् में भी आलोचना की है ।

आज मेरे पास जो सारे आंकड़े हैं, मैंने देखने की कोशिश की है कि मैंने जो सिद्धान्त रखा है कि 1/12 से अधिक मंत्री न हों तो उसकी पूर्ति कहां तक हुई है—उसमें भी मैं दलबाजों में नहीं जा रहा हूं—सबसे बड़ा आदर्श रखा है मद्रास ने जहां कि गैर-कांग्रेसी दल की हुकूमत है, डी०एम० के० की हुकुमत है और उसके साथ-साथ आंध्र प्रदेश भी है जहां कि कांग्रेस की गवर्नमेन्ट है । इसमें दलबाजी की कोई बात नहीं है । सिर्फ दो सूबों में एक बटा बारह से कम मंत्री हैं ।

अभी-अभी कानून मंत्री ने कहा कि यह जो दल परिवर्तन वाली कमेटी है, उसमें कुछ फैसले किये गये हैं, यह बात सही है, मैं उसका सदस्य भी हूं लेकिन मुझे खेद है कि कुछ कारणों से पिछली दो बैठकों में मैं जा नहीं सका । लेकिन जो फैसले हुए हैं वे गुप्त नहीं हैं, वह अखबारों में भी आये हैं, सदन की जानकारी के लिए रखता हूं । दो फैसले अच्छे हुए हैं जिनको पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"There was general agreement that there should be a limit on the strength of the Council of Ministers at the Centre and in the States. The limit should not be more than 10% of the strength of the House in the case of unicameral legislatures and not more than 11% of the strength of the Lower House wherever there were two chambers. In fixing the strength of the Council of Ministers, Parliamentary Secretaries should be included. Ministers could be drawn from both Houses."

उसके साथ जुड़ा हुआ है :

"There was wide agreement that no one who was not initially a member of the Lower House should be Prime Minister/Chief Minister. Effect would be given to this recommendation by suitably amending the Constitution."

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि 66 में जब राज्य सभा के एक सदस्य को प्रधान मंत्री बनाया गया तो मैंने ऐतराज किया था, इसलिए नहीं कि मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा था बल्कि मैं यह बताना चाहता था कि जिस तरह से आपको याद होगा कि 1920 के बाद जब इंगलैंड में कर्जन या बाल्डविन प्रधान मंत्री । बने इस बात को लेकर इंगलैंड में विवाद शुरू हुआ और उस वक्त यह सिद्धान्त प्रस्थापित हुआ कि लोकतांत्रिक

देश के प्रधान मंत्री हाउस आफ कामन्स के होंगे न कि हाउस आफ लार्ड्स के और इसलिए जब बीच में टोरी पार्टी के नेता डगलस ह्यूम बने तो उनको लार्ड्स से हटना पड़ा और कामन्स का चुनाव लड़कर वे प्रधान मंत्री बने। तो यह जो दोनों सिद्धान्त हैं उनको डिफेक्शन्स कमेटी ने कबूल किया है लेकिन इसमें जो प्रतिशत रखा गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। अभी मैंने कानून मंत्री से बात की, उन्होंने कहा आप बैठक में नहीं थे। अगस्त में बैठक होने वाली है जिसमें अंतिम फैसला होने वाला है, उसमें मौका है आप अपनी बात के लिए लड़ सकते हैं और इस बारे में उनका दिमाग भी खुला हुआ है। यह उन्होंने कहा। तो जो सिद्धान्त है वह तो सर्वमान्य है लेकिन क्या परसेंटेज, प्रतिशत रहे, 1/12 रहे या 11 परसेन्ट रहे उसके बारे में हो कुछ मतभेद है। अगस्त में जो बैठक होने वाली है उसमें मैं वह बातें रखूंगा। मुझे एतराज क्यों है, वह भी मैं बताना चाहता हूं। 11 परसेन्ट होने से देश को पता नहीं चलेगा कि कोई परिवर्तन हो रहा है। आज केन्द्र में कितने मंत्री हैं? 56 या 57 हैं। तो 11 पर सेन्ट इसलिए रखा गया है कि 57 आदमी ज्यों के त्यों बने रहें। इस पर मेरा एतराज है। इसमें कुछ त्याग करना पड़ेगा लेकिन केन्द्रीय सरकार समझती है कि हमने जो कुछ किया है वह सब आदर्श है। आदर्श क्या है वह अलग कसौटियों को लेकर हम लोग निश्चित करें और उसके अनुसार केन्द्रीय मंत्रि परिषद् को उसी ढांचे में ढालने की कोशिश करें न कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल का जो चित्र है उसको देखते हुए अपना ढांचा बनायें। यह मेरा सबसे बड़ा आक्षेप है। उसमें आपको कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं लेकिन क्या हम लोगों को नहीं हो सकती हैं? मंत्रि परिषद् की संख्या बढ़ने का, दल परिवर्तन अकेला कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण यह है कि गैर-कांग्रेसी मोर्चे में चूंकि दलों की संख्या ज्यादा है और और एक दल को बहुमत न मिलने के कारण मंत्रिमंडल बनाते समय कई दलों को हमें शुमार करना पड़ता है, यह हमारी मुसीबत है। कांग्रेस पार्टी में तकलीफ यह है कि वह एक पार्टी होते हुए भी कई दलों या गुटों में बंट गई है। मोरारजी भाई का गुट इंदिरा गांधी का गुट, सिंडीकेट और न जाने क्या-क्या गुट हैं और इसलिए मंत्रिपरिषद् की संख्या बढ़ाने के लिए एक हमेशा दबाव बना ही रहता है। यह जो कानून के पंडितों की कमेटी थी उस ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि अगर कानून से कोई सीमा निर्धारित की जायेगी तो उसका एक फायदा यह होगा कि प्रधान मंत्री पर और मुख्य मंत्री पर दबाव नहीं रहेगा क्योंकि प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री फिर कह पायेंगे कि आप को शिवनारायण जी हम मंत्री जरूर बनना चाहते हैं लेकिन क्या करें सीमा की वजह से लाचार हैं। कोई भी हों, भण्डारे जी हों या श्री पील मोडी हों, उन से प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री कह सकते हैं कि हम आप को बनाना तो चाहते हैं लेकिन कानून ने सीमा निर्धारित की है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि इस सिद्धान्त के बारे में हम लोगों में एक राय है और उन्होंने जैसे कि कहा है यह जो हम लोगों के दो फैसले हैं और दोनों को कार्यान्वित करने के लिए वह विधेयक ले आयेंगे।

मैंने अपने संशोधन विधेयक में 1/12 कहा है। कुछ लोगों ने 1/20 कहा है। श्री लोबो प्रभु और राणे जी ने 1/20 कहा है। मुझे आपत्ति नहीं है मद्रास का कोई नुकसान नहीं होना है। वहां तो 1/20 आज कायम हो गया है। के अनुसार उन के यहां करीब-करीब 10–11 मंत्री बन सकते थे लेकिन उन के यहां 9 हैं। दया प्रपोरशन हो वह हम कमेटी में विचार

[श्री मधु लिमये]

कर लेंगे लेकिन किसी भी कीमत पर मुझे यह 11 प्रतिशत वाला कबूल नहीं है क्योंकि उस में कोई परिवर्तन नहीं होता है । उसको छोड़ कर बाकी एक राय है । इसलिए सदन की इजाजत से मैं अपने इस विधेयक को मंत्री महोदय के आश्वासन पर और इस आशा पर कि सरकार जल्द से जल्द स्वयं एक विधेयक प्रस्तुत करेगी, वापिस लेना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का खुलासा कर देना चाहता हूं । मंत्री की परिभाषा हमारे नियमों में है इसलिए मैंने यहां पर नहीं की थी । हमारे नियम के अनुसार मंत्री की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार उस में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और पार्लियामैंटरी सेक्रेटरीज सभी आते हैं । स्पष्टीकरण के तौर पर इसको विधेयक में रखने का विरोध करने की कोई बात नहीं है । यह ठीक है कि नियमों में हमारे वह है लेकिन नियम तो हम बहुमत से बदल सकते हैं इसलिए अच्छा यह होगा कि यह चीज संविधान में आ जाये । कानून व संविधान में अगर यह आ जायेगी तो बहुत अच्छा होगा ।

जैसा मैंने पहले कहा इस आशा पर कि मंत्री महोदय शीघ्र इस तरह का एक अच्छा विधेयक सदन के सामने मंजूरी के लिये ले आयेंगे मैं अपने विधेयक को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his Bill?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

SHRI MADHU LIMAYE: I withdraw the Bill.

The Bill was, by leave, withdrawn.

17.13 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of article* 120) by Shri Sezhiyan

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

My Bill seeks to amend article 120 of the Constitution. The principle on which this article is based is a very vital one. It has been raised here several times in the past and even in the last Lok Sabha I gave notice of a Private Member's Bill and several other Members belonging to other Parties gave notice of similar Bills. Only now I have the good fortune to have it balloted and get priority. I do not want to go into the entire question of the official language policy of India and that is not under discussion now. This has only limited scope. What should be the language that can be used in Parliament, by Members of Parliament and the discussion is confined to this narrow ambit. When we begin to speak, several Members ask: why don't you speak in your own mother tongue? We readily agree; we want to; it will be a happy occasion when we can do so. But there is the impediment of the Constitution. Article 120 defines the languages in which the business of Parliament should be conducted.

Article 120 says:

"Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English."